08
अध्याय

उद्योग और अवसंरचना

औद्योगिक क्षेत्र ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर, वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 5.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) में 4.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 0.9 प्रतिशत पर रही। रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्रक की वृद्धि वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान (-) 1.1 प्रतिशत पर आ गई जो. कि वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 5.3 प्रतिशत थी। इस्पात क्षेत्र ने वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 3.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। सरकार ने विभिन्न अवसंरचनागत क्षेत्रों का क्षमता-संवर्धन करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में नई नीतियों को लागू किया है। दिनांक 31.12.2019 को जारी, राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा पर कार्यबल की रिपोर्ट में भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान 102 लाख करोड़ रुपए के कुल अवसंरचना निवेश की योजना है।

परिचय

8.1 भारत को पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्रों के साथ अपने पश्चात एवं पूर्वगामी संबंधों के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादन और रोजगार की समग्र संवृद्धि के निर्धारण में निर्णायक भूमिका का निर्वाह करता है। यह कुल सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करता है। तथापि, यह क्षेत्र अनेक ऐसी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के प्रति सुभेद्य है जो इसके समग्र कार्यनिष्पादन को प्रभावित करती है।

औद्योगिक क्षेत्र में प्रवृत्तियां (रुझान)

8.2 जीवीए में अपने योगदान के संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र के कार्यनिष्पाद में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में सुधार हुआ है। हालांकि, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किए गए सकल घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र के वास्तविक जीवीए में वर्ष 2018-19 के पूर्वार्द्ध (अप्रैल-सितंबर) में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्रक में निम्न वृद्धि का प्राथमिक कारण विनिर्माण क्षेत्र है जिसने वर्ष 2019-20 के पूर्वार्द्ध में 0.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। औद्योगिक क्षेत्र के लिए आधारभूत कीमतों पर वास्तविक जीवीए की वृद्धि का विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

8.3 औद्यगिक उत्पादक सूचकांक (आई आई पी) औद्योगिक कार्य निष्पादन का एक माप है। यह विनिर्माण क्षेत्र को 77.6 प्रतिशत, तत्पश्चात खनन क्षेत्र को 14.4 प्रतिशत और बिजली क्षेत्र को 8.0 प्रतिशत भारांक प्रदान करता है। सब मिलाकर, आईआईपी वृद्धि 2017-18 के 4.4 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 3.8 प्रतिशत तक घट गई। 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के चालू वर्ष

में, यह पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के 5.0 प्रतिशत की तुलना में 0.6 प्रतिशत बढी (तालिका 2)। वृद्धि में कमी मुख्यत: विनिर्माण गतिविधियों में गिरावट, मध्यम और लघु उद्यमों में धीमें ऋण प्रवाह, एन बी एफ सी द्वारा नकदी संकट के कारण एन बी एफ सी द्वारा कम ऋण मुहैया करने मुख्य क्षेत्रों जैसे ओटोमेटिव क्षेत्र, दवाईयाँ, मशीनरी और उपस्करों की घरेलू माँग में कमी, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल कीमतों में अस्थिरता, विद्यमान व्यापार संबंधित अनिश्चितताओं आदि के कारण हई। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रमुख श्रम आधारित क्षेत्रों, जैसे रत्न और आभूषण, मूल धातु, चमड़े के उत्पाद और वस्त्र-उत्पाद जैसे श्रम-आधारित क्षेत्रों के निर्यात में खराब प्रदर्शन हुआ।

तालिका 1: स्थिर कीमतों पर उद्योगों में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

	Share in GVA*	2017-18	2018-19 (PE)	2019-20 Q1	2019-20 Q2	2019-20 (1st AE)
Mining & Quarrying	2.4	5.1	1.3	2.7	0.1	1.5
Manufacturing	16.4	5.9	6.9	0.6	-1.0	2.0
Electricity, Gas, Water Supply & other Utility Services	2.8	8.6	7.0	8.6	3.6	5.4
Construction	8.0	5.6	8.7	5.7	3.3	3.2
Industry	**29.6**	**5.9**	**6.9**	**2.7**	**0.5**	**2.5**

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ)
टिप्पणी: *जीवीए में हिस्सा चालू कीमतों (2018-19) पर है, एई-अग्रिम अनुमान, पी ई-अनंतिम अनुमान

तालिका 2: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी)वृद्धि दर (प्रतिशत में)

	भारांक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 (April-November)	2019-20 (April-November)
सामान्य सूचकांक	100.0	3.3	4.6	4.4	3.8	5.0	0.6
क्षेत्र संबंधी वर्गीकरण							
खनन	14.4	4.3	5.3	2.3	2.9	3.7	-0.1
विनिर्माण	77.6	2.8	4.4	4.6	3.9	4.9	0.9
बिजली	8.0	5.7	5.8	5.4	5.2	6.6	0.8
उपयोग आधारित वर्गीकरण							
प्राथमिक माल	34.0	5.0	4.9	3.7	3.5	4.8	0.1
पूँजीगत माल	8.2	3.0	3.2	4.0	2.7	7.2	-11.6
मध्यवर्ती माल	17.2	1.5	3.3	2.3	0.9	0.7	12.2
अवसंरचना/विनिर्माण माल	12.3	2.8	3.9	5.6	7.3	8.3	-2.7
उपभोक्ता वस्तुएं	12.8	3.4	2.9	0.8	5.5	7.8	-6.5
गैर-उपभोक्ता वस्तुएं	15.3	2.6	7.9	10.6	4.0	4.0	3.9

स्रोत: एन एस ओ

8.4 आई.आई.पी के प्रयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान पूँजीगत माल और उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि में क्रमश: 11.6 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत की गिरावट

आई। उपभोक्ता वस्तुओं का वर्ग, मुख्यत: ऑटोमोबाइल उद्योग में, घरेलू क्षेत्र में माँग की कमी के कारण प्रभावित रहा। चालू वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवबंर) में अवसंरचना/विनिर्माण माल की वृद्धि 2.7 प्रतिशत घटी। फिर भी 2019-20 (अप्रैल-नवबर) के दौरान मध्यवर्ती माल-गैर-उपभोक्ता वस्तुओं और प्राथमिक माल की वृद्धि क्रमश: 12.2 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत हुई (तालिका 2)। चित्र 1 उपयोग-आधारित वर्गीकरण द्वारा आई आई पी की मासिक वृद्धि दर्शाता है। मध्यवर्ती माल और गैर-उपभोक्ता वस्तुओं ने नवंबर 2019 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, यद्यपि प्राथमिक माल, पूँजीगत माल, अवसंरचना/विनिर्माण माल तथा उपभोक्ता वस्तुओं ने नवबंर 2019 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

चित्र 1: आई आई पी की मासिक वृद्धि (प्रतिशत में) (उपयोग आधारित वर्गीकरण)

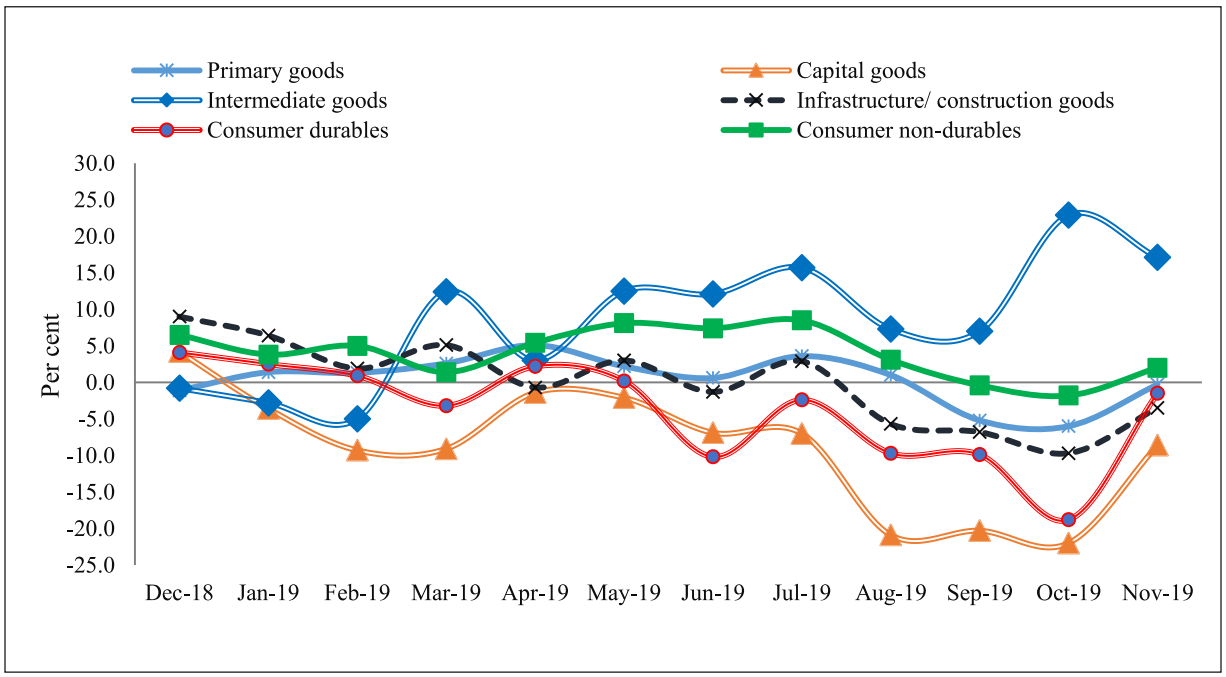

स्रोत: एनएसओ

आठ प्रमुख उद्योग

8.5 आठ प्रमुख उद्योगो का सूचकांक कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली के कार्यान्वयन संबंधी विवरण प्रस्तुत करता है। इन आठ प्रमुख उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) में 40.27 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

8.6 चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-नवंबर 2019) के दौरान आठ प्रमुख उद्योगों की वृद्धि सपाट रही। पूर्ववर्ती वर्ष की इस अवधि के दौरान, इन उद्योगों में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (तालिका 3)। जहाँ चालू वित्त वर्ष के दौरान उर्वरक, स्टील और बिजली के उत्पादन में विस्तार देखा गया वहीं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पादों का औद्योगिक उत्पादन सकुंचित हुआ। मानसून के दौरान अतिशय बारिश, खनन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की समस्या और सितंबर 2019 के दौरान हड़ताल ने कोयला क्षेत्र को प्रभावित किया। कच्चे तेल उद्योग बिजली कटने, बारिश/तेज हवा/आँधी-तूफान आदि के कारण प्रचालनीय समस्याओं के चलते 2019-20 (अप्रैल-नवबंर) में (-) 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर से लगातार संकुचन की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता रहा। वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान आई आई पी, आठ प्रमुख उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में तीन माह की चल औसत माह दर माह वृद्धि दर दर्शाती है कि यह तीनों संकेतक कभी-कभार विचलन सहित साथ-साथ बढ़ते हैं (चित्र 2)।

तालिका 3: आठ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)

क्षेत्र (सेक्टर)	भारांक	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19 (अप्रैल-नवंबर)	2019-20 (अप्रैल-नवंबर)
कोयला	10.3	3.2	2.6	7.4	9.0	-5.3
कच्चा तेल	9.0	-2.5	-0.9	-4.1	-3.6	-5.9
प्राकृतिक गैस	6.9	-1.0	2.9	0.8	-0.7	-3.1
रिफाइनरी उत्पाद	28.0	4.9	4.6	3.1	5.3	-1.1
उर्वरक	2.6	0.2	0.0	0.3	-1.3	4.0
इस्पात	17.9	10.7	5.6	5.1	3.6	5.2
सीमेंट	5.4	-1.2	6.3	13.3	14.2	0.0
बिजली	19.9	5.8	5.3	5.2	6.6	0.7
समग्र सूचकांक	**100**	**4.8**	**4.3**	**4.4**	**5.1**	**0.0**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी

टिप्पणी: ऊपर निर्दिष्ट उद्योग-वार भारांक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से व्युत्पन्न अलग-अलग उद्योग के भारांक हैं और 100 के समतुल्य आईसीआई के संयुक्त भारांक के आधार पर यथानुपात उल्लिखित किए गए हैं।

चित्र 2: वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आठ प्रमुख उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में माह के परिवर्तनशील औसत माह-दर-माह की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

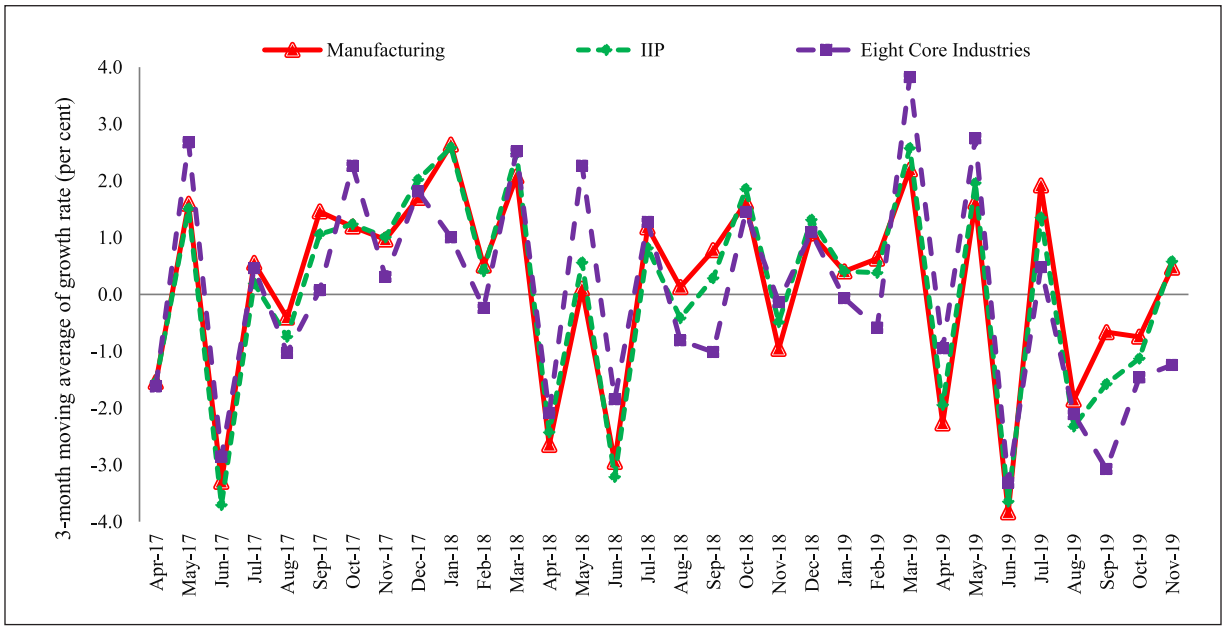

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय डीपीआईआईटी और एनएसओ आंकड़ों का उपयोग करते हुए 'समीक्षा' परिकलन।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का निष्पादन

8.7 लोक उद्यम विभाग के अनुसार, दि. 31.03.2019 को, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की संख्या 348 हैं, इनमें से 249 उद्यम प्रचालनिक स्थिति में हैं। पुन: 86 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को अभी वाणिज्यिक रूप से प्रचालन आरंभ करना है और 13 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बंद होने परिसमापन की प्रक्रिया में थे।

प्रचालित 249 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से वर्ष 2018-19 के दौरान 178 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम रु. 1.75 लाख करोड़ लाभ की स्थिति में थे, वर्ष के दौरान 70 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हानि की स्थिति में थे जिनकी कुल हानि ₹31,635 करोड़ थी। 249 प्रचालित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का समग्र निवल लाभ वर्ष 2017-18 में 1.24 लाख करोड़ रुपये से वर्ष 2018-19 में 15.52 प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपये हो गया। केंद्रीय राजकोष में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंशदान में पिछले वर्ष 3.52 लाख करोड़ रुपये की तुलना वर्ष 2018-19 में 4.67 प्रतिशत की वृद्धि होकर 3.69 लाख करोड़ रुपये हो गया।

8.8 संचयी निवेश (चूकता पूंजी जमा दीर्घावधि ऋण), जो 31 मार्च, 1951 के अनुसार 5 उद्यमों में 29 करोड़ रुपये थे, 31 मार्च, 2019 के अनुसार 335 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में बढ़कर 16.41 लाख करोड़ रुपये हो गई। सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश में 2017-18 की तुलना 2018-19 में 14.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उसी अवधि में नियोजित पूंजी भी बढ़कर 11.71 प्रतिशत हो गई।

कार्पोरेट क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

8.9 कार्पोरेट क्षेत्र का कार्यनिष्पादन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार अनुमानित बिक्री में सहित वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में मांग शर्तें कमजोर होने के कारण संकुचन (वर्ष-दर-वर्ष) रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों, लोहा और इस्पात, मोटर वाहन और अन्य परिवहन उपकरण कंपनियां इसे धीमा करने में मुख्य अंशदायक रहे। वर्ष 2016-17 के द्वितीय तिमाही से विस्तारणीय जोन में शेष रहने के बाद, वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही में 1700 से अधिक सूचीबद्ध प्राइवेट विनिर्माण कंपनियों की बिक्री वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 7.7 प्रतिशत संकुचित हुई। वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र के लिए निवल लाभ संकुचित होने का मुख्य कारण उत्पादन का धीमा होना रहा। वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही में कार्पोरेट क्षेत्र की निवल लाभ की पुनः सुधार आया और वह 17.4 प्रतिशत (चित्र 3) रहा। भारत में विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता उपयोगिता क्षमता वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही में 73.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019-20 के प्रथम तिमाही में 73.6 प्रतिशत पर स्थिर रही (चित्र 4)।

चित्र 3: प्राइवेट कार्पोरेट क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों की बिक्री में वृद्धि और निवल लाभ (प्रतिशत में)

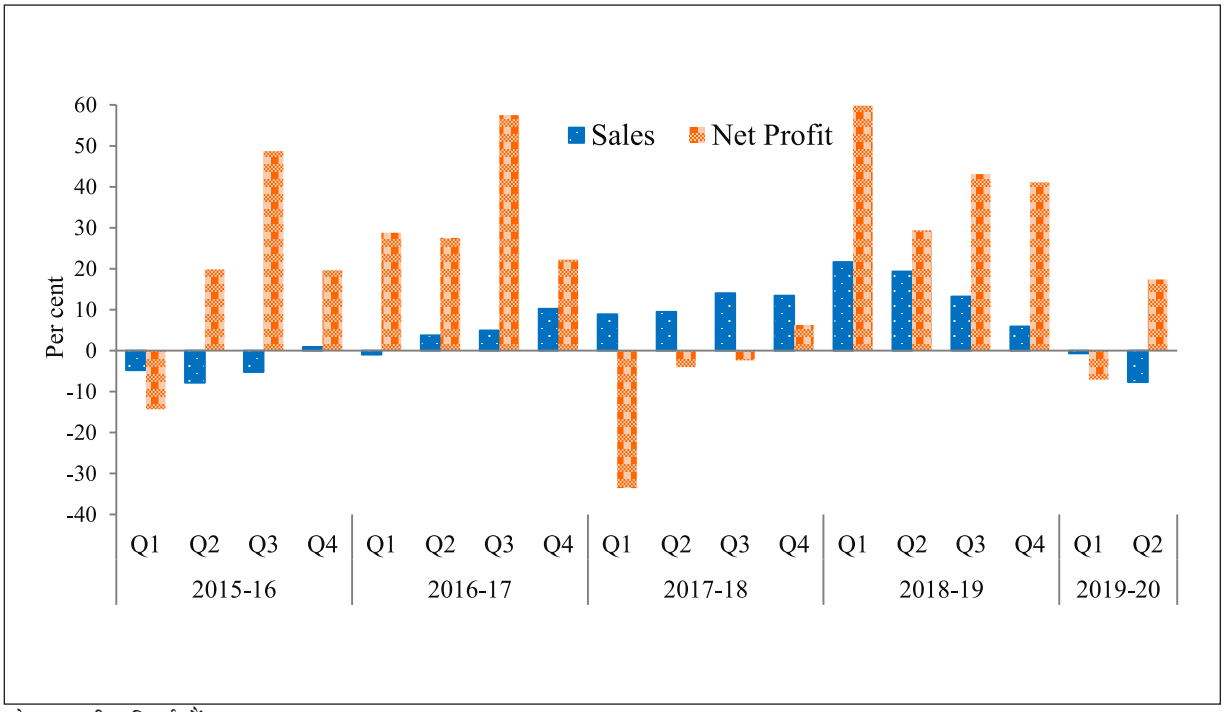

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

चित्र 4: भारत के विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)

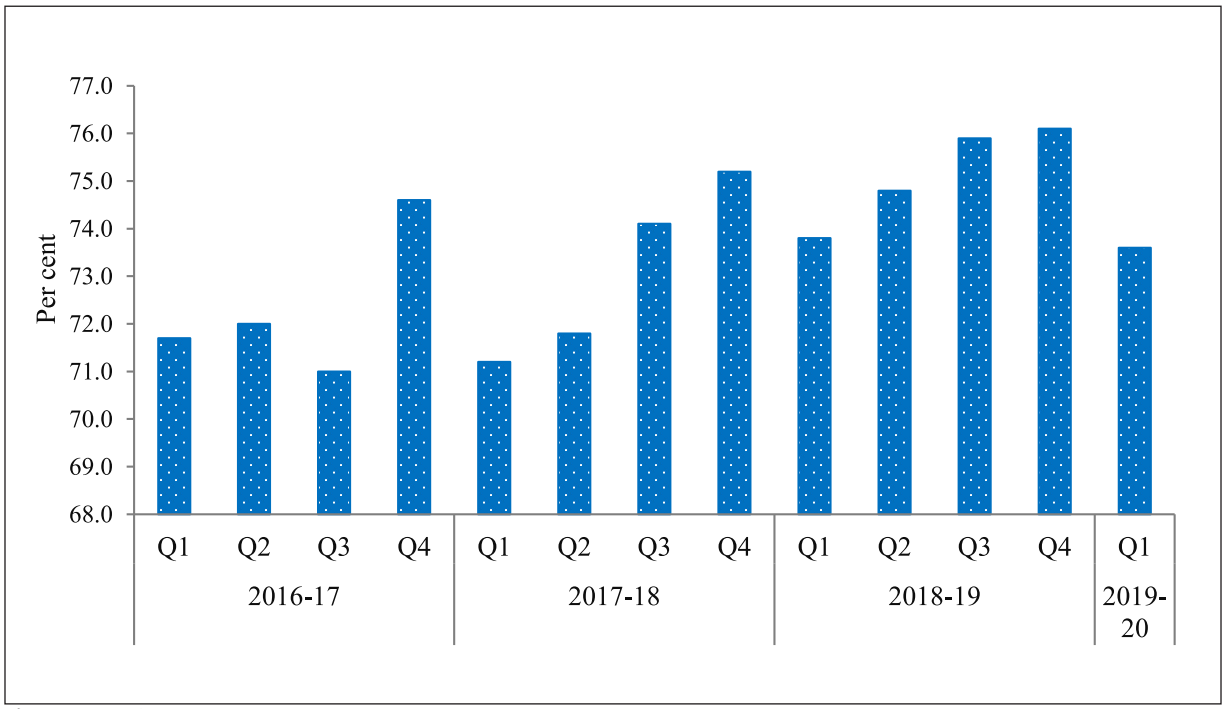

स्रोत: आरबीआई

औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

8.10 31 जनवरी, 2019 को एनएसओ द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी संचय से ज्ञात हुआ है। कि उद्योग में सकल घरेलू निवेश (जीसीएफ) की वृद्धि दर 2016-17 में (-) 0.7 प्रतिशत से 2017-18 में 7.6 प्रतिशत पहुंच गई और उद्योग में निवेश आने से गति मिली। 2017-18 (4 में खनन और उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं और निर्माण के क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत, 8.0 प्रतिशत, 6.1 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। (तालिका 4)।

तालिका 4: उद्योगवार जीसीएफ की वृद्धि दर (2011-12 के स्थिर कीमतों पर) (प्रतिशत में)

	2015-16*	2016-17#	2017-18@
उद्योग	11.1	-0.7	7.6
खनन और उत्खनन	-19.6	16.4	7.1
विनिर्माण	11.4	1.3	8.0
विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं,	22.4	-12.9	6.1
निर्माण	2.6	10.1	8.4

स्रोत: एनएसओ

टिप्पणी*: तृतीय संशोधित अनुमान, #-द्वितीय संशोधित अनुमार, @-प्रथम संशोधन अनुमान

औद्योगिक क्षेत्र में साख प्रवाह (उपलब्धता)

8.11 वर्षानुसार उद्योग क्षेत्र में सकल बैंक साख प्रवाह सितम्बर, 2018 में 2.3 प्रतिशत से सितम्बर, 2019 में 2.7 प्रतिशत पहुंच गया। उद्योग क्षेत्र, जैसे लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, सभी अभियांत्रिक, सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद, निर्माण और आधारभूत ढ़ांचा, में 'साख प्रवाह' में सितम्बर, 2018 की तुलना में सितम्बर, 2019 में वृद्धि हुई है, जबकि उसी अवधि के दौरान खनन और उत्खनन, कपड़ा पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु

ईधन, कांच और कांच के बर्तन तथा क्षार धातु और धातु उत्पाद में ये प्रवाह संकुचित हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और रसायनिक उत्पाद, वाहन और वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण में साख प्रवाह सितम्बर, 2018 की तुलना में सितम्बर, 2019 में कम वृद्धि दर्ज की गई है(तालिका 5)।

तालिका 5: सकल बैंक साख में उद्योगों के अनुसार वृद्धि (प्रतिशत में) (वर्षानुसार)।

	March 2018	September 2018	March 2019	September 2019
उद्योग	0.7	2.3	6.9	2.7
खनन और उत्खनन (कोयला समेत है)	19.7	29.8	1.1	-3.0
खाद्य प्रसंस्करण	6.8	2.2	1.1	0.6
कपड़ा	6.9	1.3	-3.0	-5.7
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	9.4	18.5	-3.1	-4.2
लकड़ी और लकड़ी का उत्पाद	3.3	6.4	10.2	7.1
रसायन और रसायनिक उत्पाद	-5.5	11.7	17.5	2.6
कांच और कांच के उत्पाद	6.5	30.3	17.0	-8.0
सभी अभियांत्रिक	3.8	3.8	8.6	4.4
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	-3.1	-10.4	5.9	17.5
मूल धातु और धातु उत्पाद	-1.2	-7.9	-10.7	-7.9
वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	7.0	9.1	1.4	6.9
निर्माण	9.5	8.7	10.4	10.5
आधारभूत ढांचा	-1.7	4.7	18.5	7.2
अन्य उद्योग	**4.2**	**-1.8**	**6.8**	**7.4**

स्रोत: आरबीआई

व्यापार सुगमता

8.12 भारत सरकार ने 2014 से औद्योगिक क्षेत्र संबधित अनेक सुधारों के लिए पहल की है, जिससे समग्र व्यवसाय वातावरण बेहतर हुआ है। व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिए विद्यमान नियमों को सरलीकृत और युक्तिकृत बनाने पर जोर दिया जा रहा है एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाया गया है। व्यावसायिक वातावरण में हुए सुधार के परिणामस्वरूप भारत में इन सुधारों का असर देखा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप विश्व बैंक की 2020 की रिपोर्ट में सुगम व्यवसाय करने के मामले में 190 देशों में से भारत का स्थान उल्लेखनीय रूप से सुधरकर 63वां हो गया। यह पिछली बार के 77वीं रैंक के स्थान से 14 रैंक की छलांग लगाकर 63 रैंक पर पहुंच गया है (चित्र 5)। रैंकिंग करने का आधार 10 सूचकों से सम्बद्ध हैं, जो व्यवसाय करने के चीवन चक्र से संबंधित हैं। भारत ने अपना रैंक 10 सूचकों में से 7 पर बेहतर किया है और व्यवसाय करने के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के और समीप पहुंच गया है। (चित्र 6)

चित्र 5: वर्ल्ड बैंक 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट् में भारत की रैंकिंग

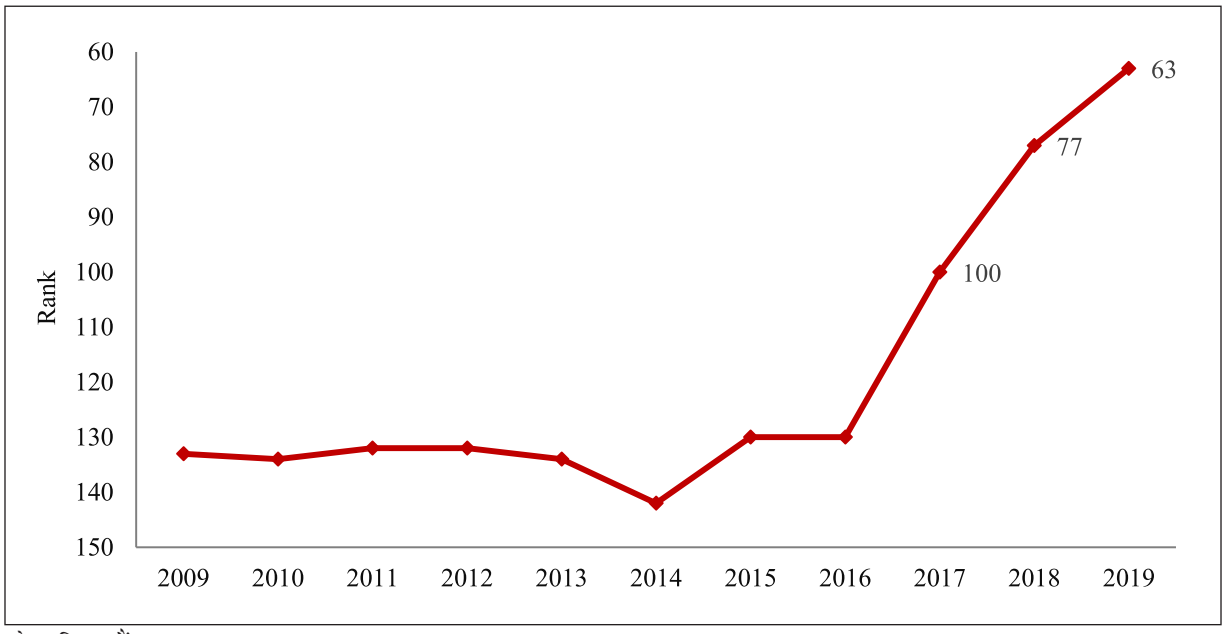

स्रोत: विश्व बैंक

चित्र 6: 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भारत की प्रगति

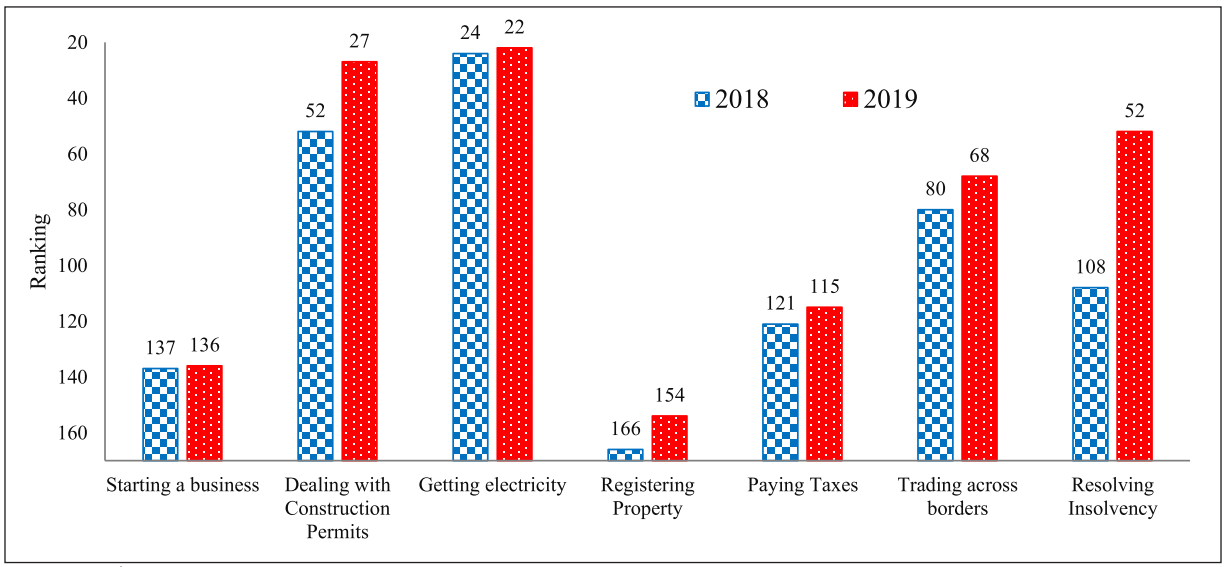

स्रोत: विश्व बैंक

स्टार्ट-अप इंडिया

8.13 स्टार्ट-अप आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, रोज़गार पैदा करते हैं और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उद्यमी युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2015 को ''स्टार्ट-अप इंडिया, स्टेंड-अप इंडिया'' पहल की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो स्टार्ट-अप के विकास के लिए अनुकूल हो। 16 जनवरी को 19 कार्य-बिंदुओं को शामिल करते हुए एक कार्य योजना का अनावरण किया गया। 8 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार, 551 जिलों में 27,084 स्टार्ट-अप्स को मान्यता दी गई, जिनमें से 55 प्रतिशत स्टार्ट-अप्स स्तर-I के शहरों, 45 प्रतिशत स्टार्ट-अप्स स्तर-II और स्तर III के शहरों में हैं। 43 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स में कम से कम एक

महिला निदेशक है। विनियमों को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे स्टॉर्ट-अप द्वारा एकत्र किए गए निवेश पर आयकर में छूट, स्टार्ट-अप के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हेतु 32 विनियामक सुधार लागू करना, 6 श्रम कानूनों और 3 पर्यावरण कानूनों के लिए स्व-प्रमाणन व्यवस्था, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में 'स्टार्ट-अप इंडिया हब' स्थापित करना, जिसमें 3,67,773 उपयोगकर्ताओं ने व्यवसाय की योजना बनाने के लिए निःशुल्क स्टार्ट-अप इंडिया अधिगम कार्यक्रम का लाभ उठाया है, आदि। महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली-भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के राज्य-वार वितरण के मामले में शीर्ष तीन प्रदर्शक हैं (चित्र-7)। मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के उद्योगवार वितरण के अनुसार, 13.9 प्रतिशत सूचना प्रौद्योगिकी के बाद स्वास्थ्य देखभाल व जीव विज्ञान की (8.3 प्रतिशत) और शिक्षा (7.0 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी (चित्र-8)।

चित्र-7: भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप का प्रमुख राज्य-वार वितरण (% में)

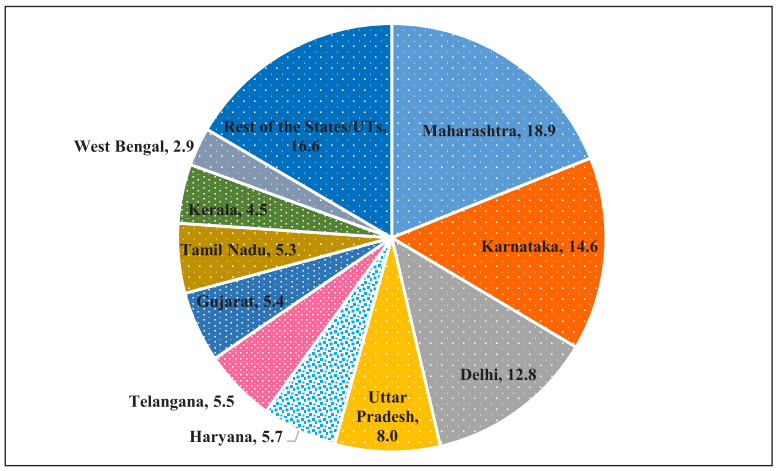

स्रोत: डी पी आई आई टी

चित्र 8: भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप का प्रमुख उद्योगों के संदर्भ में वितरण (प्रतिशत में)

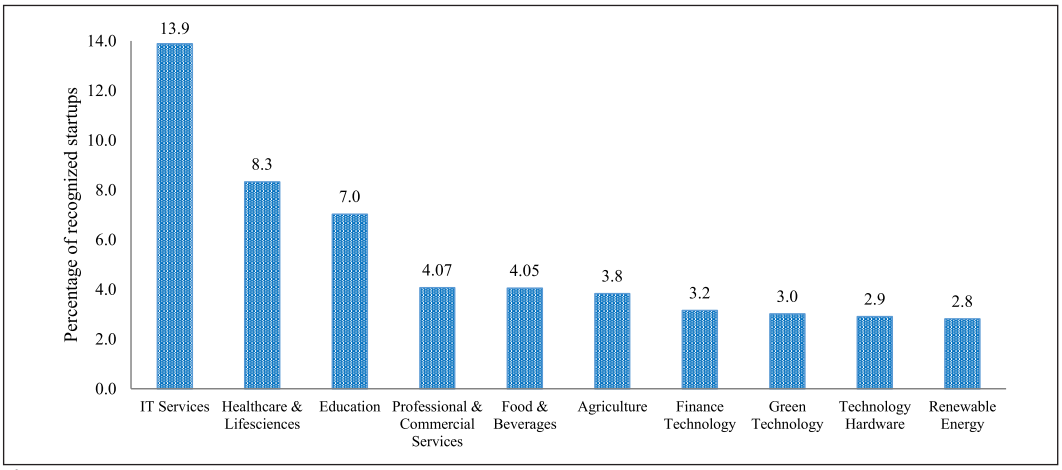

स्रोत: डी. पी. आई. आई टी.

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.)

8.14 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आर्थिक विकास का प्रमुख चालक माना जाता है क्योंकि यह पूंजी, दक्षता तथा प्रौद्योगिकी को लाकर मेज़बान देश की उत्पादकता में वृद्धि करता है। सरकार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की एक उदार नीति के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने की एक अति-सक्रिय पहल की जा रही है। वर्ष 2018-19 (सितम्बर, 2019 तक) में 22.66 मिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में वर्ष 2019-20 (सितम्बर, 2019 तक) के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कुल इक्विटी अंतर्प्रवाह 26.10 बिलियन अमेरिकी डालर रहा। वर्ष 2019-20 (सितम्बर, 2019 तक) के दौरान 26.

10 बिलियन अमेरिकी डालर के एफ.डी.आई. इक्विटी अंतर्प्रवाह में से लगभग 80 प्रतिशत भाग मुख्यत: सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से आया था।

क्षेत्र-वार मुद्दे और पहल

इस्पात

8.15 कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर स्थित था। (चित्र 9)। यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है (चित्र 10)। हालांकि, वर्ष 2018-19 के दौरान इसकी प्रति व्यक्ति खपत केवल 74.1 किलो ग्राम ही थी (चित्र 11)। 2018-19 के दौरान, भारत ने 109.2 मैट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया और अक्तूबर, 2019 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष (एफवाई.) में, 64.3 मैट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था, जिसमें 77.4 प्रतिशत क्षमता उपयोगके साथ पिछले वर्ष की इसी अवधि से 1.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई है। ठीक उसी प्रकार तैयार इस्पात का उत्पादन 2018-19 में 137.2 मैट्रिक टन और अप्रैल-अक्टूबर 2019 के दौरान 59.73 मैट्रिक टन था (चित्र 12)।

चित्र 9: वर्ष 2019 (जनवरी-नवम्बर) में कच्चे इस्पात के उत्पादन की देश-वार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

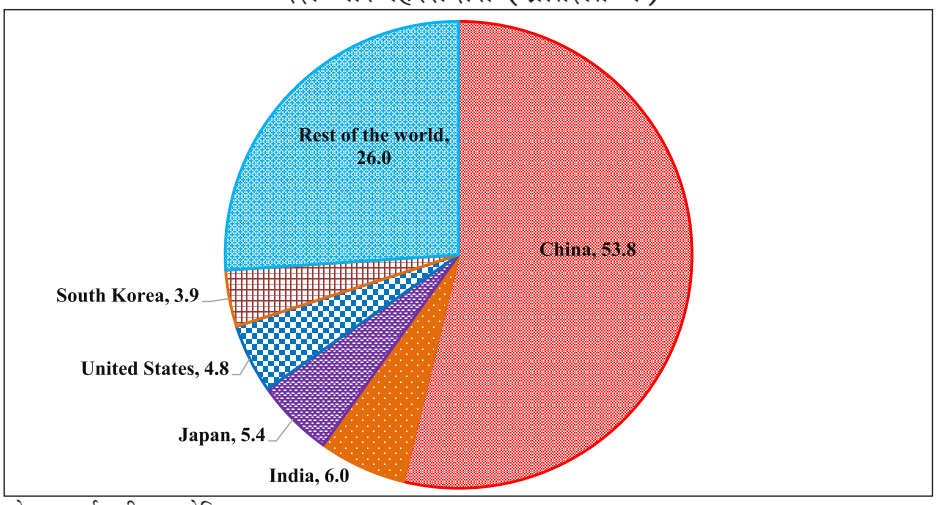

स्रोत: वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन

चित्र 10: वर्ष 2018 में तैयार इस्पात की खपत (प्रतिशत में)

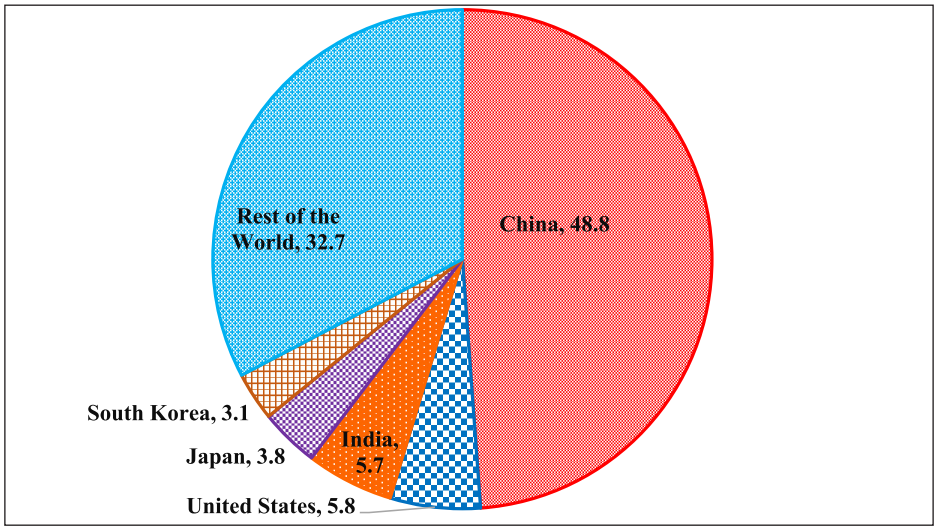

स्रोत: वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन

चित्र 11: भारत में कुल तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत (किलो ग्राम में)

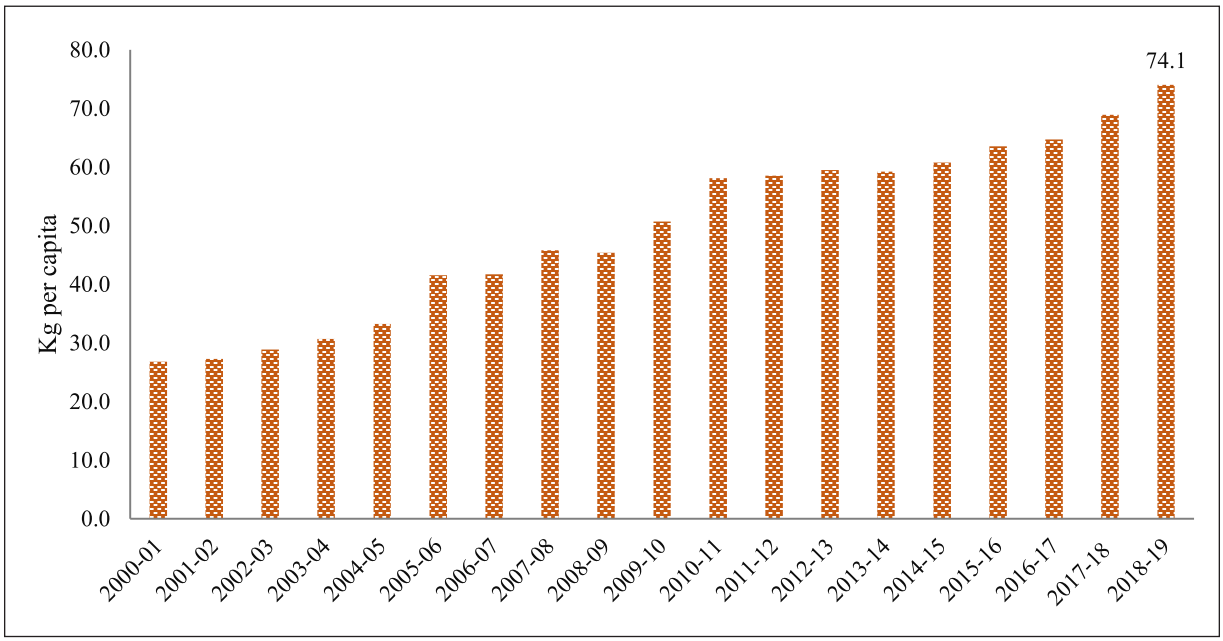

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

चित्र 12: तैयार स्टील का उत्पादन एवं खपत (मिलियन टन)

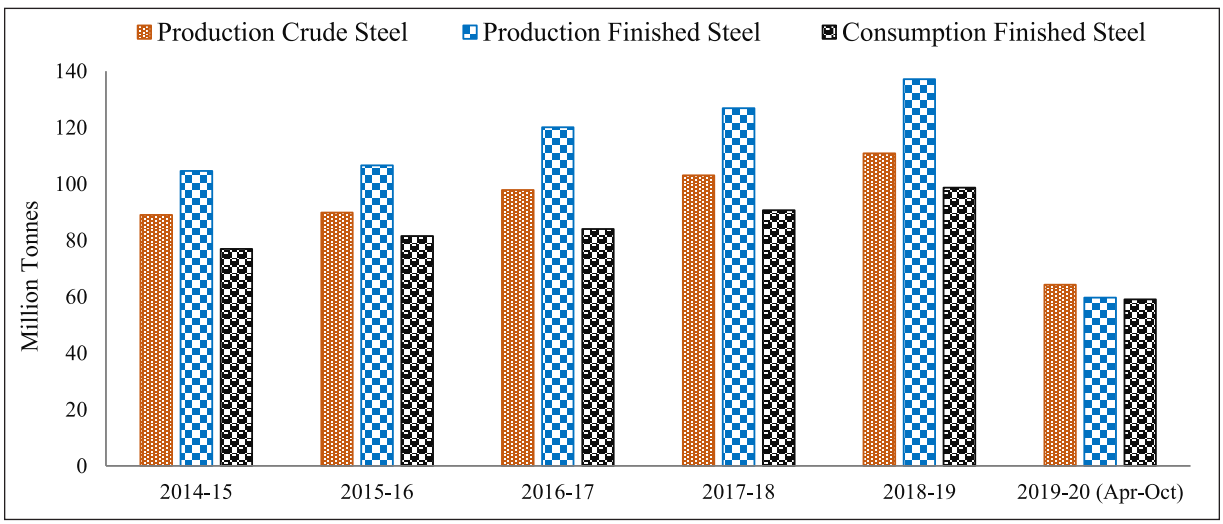

स्रोत: इस्पात मंत्रालय

कोयला

8.16 वर्ष 2018-19 के दौरान भारत में कच्चे कोयले का समग्र उत्पादन 730.4 मिलियन टन (एमटी) था जो 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्तमान वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) में पूरे भारत में कोयले का उत्पादन (-) 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 410.5 मिलियन टन था जिसका कारण भारी एवं गैर-मौसमी बरसात थी। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम तिमाही के दौरान कोयले के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हुई थी और वर्षा होने के कारण इसमें गिरावट आ गई। मौजूदा समय में, देश में कोयले की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को खपत क्षेत्रों द्वारा कोयले के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार (वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त) अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 के दौरान 126.20 मिलियन टन कोयले का आयात किया गया था। (चित्र 13)

चित्र 13: भारत में कोयले का उत्पादन एवं आयात (मिलियन टन में)

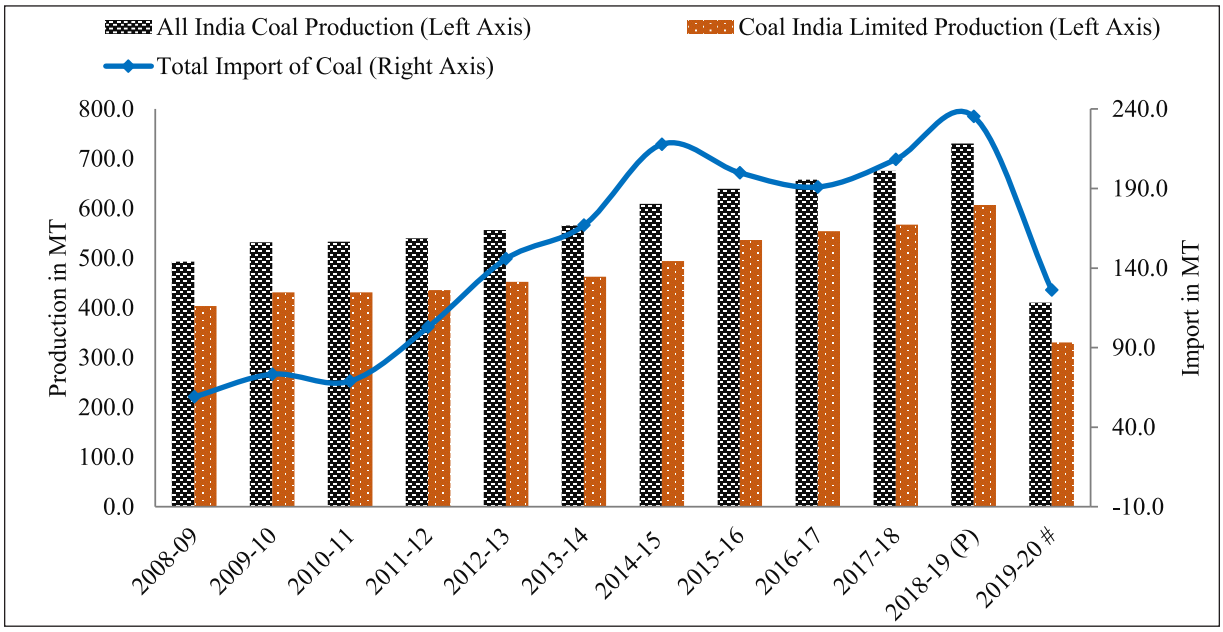

स्रोत: कोयला मंत्रालय

टिप्पणी: (पी)-अनंतिम, #-उत्पादन के आंकड़े नवंबर 2019 तक हैं और आयात के आंकड़े सितंबर, 2019 तक है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

8.17 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) कृषि के पश्चात उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के द्वारा देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। सरकार बेहतर साख प्रवाह, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, व्यापार करने में सुगमता एवं बाजार अभिगम के लिए इस विवेचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिनांक 2 नवंबर, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए और व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 12 मुख्य घोषणाएं की थी। इन पहलों और उनकी स्थिति तालिका 6 में दी गई है।

तालिका 6: एमएसएमई के तेजी से विकास और व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रमुख पहलों की स्थिति

क्र. सं.	प्रयास	स्थिति
1	सैद्धांतिक रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट में 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए अनुमोदन	49,330 करोड़ रुपये के 1,59,422 ऋणों की संस्वीकृति प्रदान की गई और 37,106 करोड़ रुपये के 1,38,646 ऋणों को संवितरित (अक्टूबर, 2019 तक) कर दिया गया है।
2	समस्त जीएसटी पंजीकृत एमएमएमई के लिए 1 करोड़ रुपये के ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता।	सिडबी ने 43 बैंकों/एनबीएफसी से (02.11.2018-31.03.2019) अवधि के लिए 18 करोड़ रुपयों के दावे प्राप्त किए और उनका निपटान किया
3	500 करोड़ रुपयों से अधिक की कुल बिक्री वाली समस्त कंपनियों को अनिवार्यत: टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर होना चाहिए जिससे कि उद्यमी अपनी भावी प्राप्य राशियों के आधार पर बैंकों से साख प्राप्त कर सकें।	कुल 1881 गैर अनुपालनकारी कंपनियां थी जिन की कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कार्रवाई करने के लिए की पहचान की थी। अब तक 329 कंपनियों ने स्वयं को टीआरईडीएस पोर्टल पर पंजीकृत किया है।
4	समस्त सीपीएसयू को एमएसई से अपनी कुल खरीद के 20 प्रतिशत की के स्थान पर कम से कम 25 प्रतिशत की अनिवार्य खरीद करनी होगी।	वर्ष 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान सीपीयू ने 59,903 एमएसई से 15,936.39 करोड़ रुपये की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद की थी जोकि समान अवधि में सीपीएसयू द्वारा की गई कुल खरीद का 28.26 प्रतिशत है।

5	एमएसई से अधिदेशित 25 प्रतिशत खरीद में से 3 प्रतिशत खरीद महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है।	वर्ष 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान 242.12 करोड़ रुपये की खरीद 1471 महिला एमएसई से की गई जोकि कुल खरीद का 0.43 प्रतिशत है।
6	समस्त सीपीयू को जीईएम पोर्टल से अनिवार्यत: खरीद करनी होगी।	02.11.2018 के बाद से 258 सीपीयू/सीपीएसबी जीईएम पोर्टल पर अंकित/पंजीकृत हैं। कुल 57,351 एमएसई विक्रेता एवं सेवा प्रदाता जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जीईएम पोर्टल पर 50.30 प्रतिशत आदेश एमएसई से प्राप्त हुए हैं।
7	20 प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी) और 100 विस्तार केन्द्र (ईसी) 6000 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किए जाएंगे।	अब तक, टीसी के लिए छह स्थानों का निर्धारण किया जा चुका है एवं 20 टीसी के लिए पीएमसी के लिए आरएफपी जारी की जा चुकी है तथा 20 ईसी के लिए डीपीआर को अनुमोदन दिया जा चुका है तथा 99.30 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2019-20 में 10 और ईसी की योजना है।
8	फार्मा समूह की स्थापना के लिए भारत सरकार 70 प्रतिशत लागत वहन करेगी।	सामान्य सुविधाएं विकसित करने के लिए फार्मा समूह की सहायता के लिए सोलन (बद्दी), इंदौर, औरंगाबाद एवं पुणे नाम के चार जिलों का चयन किया गया था। सिद्धांतत: पूणे से प्रस्ताव के लिए दिनांक 31.01.2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया था।
9	8 श्रम नियमों एवं 10 संघ विनियमनों के अंतर्गत विवरणियों को वर्ष में एक बार दाखिल किया जाएगा।	समस्त आंचलिक प्रमुखों को अपने अंचल में नियोजकों से उत्साहपूर्वक संपर्क करने का परामर्श दिया गया था जिससे उनको 8 श्रम कानूनों तथा 10 केंद्रीय नियमों के अंतर्गत श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन एकीकृत वार्षिक विवरणी फाइल करने की सुविधा से अवगत कराया जा सके।
10	स्थापनाओं पर दौरा करने वाले निरीक्षक का निर्णय एक कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक आबंटन के माध्यम से किया जाएगा।	कुल 3080 निरीक्षण किए जा चुके है जिनका निर्णय कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक आबंटन प्रणाली के माध्यम से किया गया था तथा समस्त निरीक्षण रिपोर्टों को श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
11	वायु एवं जल प्रदूषण नियमों के अंतर्गत एकल सहमति। विवरणियों को स्वन-सत्यापन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा और केवल 10 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयों का निरीक्षण किया जाएगा।	समस्त कार्रवाइयों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था। वर्तमान में मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
12	कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मामूली उल्लंघन के लिए उद्यमियों को अब न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि वे साधारण प्रक्रियाओं के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं।	अब तक दो कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा चुकी है जो कि अध्यादेश/संशोधन अधिनियम के अनुसार न्यायालय में मामला दायर करने की अपेक्षा शास्ति लगाने से एमएसएमई की श्रेणी में ताअी है।

स्रोत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

कपड़ा एवं वस्त्र

8.18 कपड़े का वर्ष 2017-18 में विनिर्माण में 18.0 प्रतिशत एवं जीडीपी में 2.0 प्रतिशत योगदान रहा है। वर्ष 2018-19 में भारत के कुल निर्यात में कपड़े एवं वस्त्रों की भागीदारी 12 प्रतिशत थी। यह क्षेत्र कृषि के पश्चात् सबसे बड़ा नियोजक है और यह सीधें तौर पर 4.5 करोड़ लोगों को तथा संबद्ध क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान अनुमानित मानव-निर्मित फाइबर और फिलामेंट यार्न के उत्पादन में क्रमश: 4 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की वृद्धि

हुई है। अनुमानित तौर पर, अप्रैल-अगस्त, 2019 के दौरान मिल सेक्टर द्वारा कपड़े का अनुमानित उत्पादन 4 प्रतिशत कम हो गया है (तालिका-7)। भारत से हस्तशिल्प सहित कपड़े एवं वस्त्र उत्पादों का निर्यात वर्ष 2017-18 में 39.2 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 40.4 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है जिसमें 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है (तालिका-8)।

तालिका-7: मानव निर्मित फाइबर, फिलामेंट यार्न, स्पन यार्न एवं कपड़े का अनुमानित उत्पादन

अवधि	मानव निर्मित फाइबर किग्रा	मानव निर्मित फिलामेंट यार्न किग्रा	कपास यार्न किग्रा	मिश्रित एवं 100 प्रतिशत कपास रहित यार्न किग्रा	कुल स्पन यार्न किग्रा	कपड़ा		
						मिल सेक्टर वर्ग मीटर ,	विकेन्द्रीकृत सेक्टर वर्ग मीटर	कुल योग (खादी, ऊन एवं रेशम को छोड़कर) वर्ग मीटर
	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Sq. mtr	Sq. mtr	Sq. mtr
2015-16	1347	1164	4138	1527	5665	2315	62269	64584
2016-17	1364	1159	4055	1604	5659	2264	61216	63480
2017-18	1319	1187	4064	1616	5680	2157	64688	66845
2018-19	1443	1159	4182	1680	5862	2012	68034	70046
2018-19#	603	476	1758	695	2453	873	27938	28811
2019-20 (P)#	629	512	1677	710	2387	837	28209	29046
2018-19 के बाद (प्रतिशत)	4.3	7.6	-4.6	2.2	-2.7	-4.1	1.0	0.8

स्रोत: कपड़ा मंत्रालय

टिप्पणी: (पी)-अनंतिम, *-इकाइयों से प्राप्त सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित **यार्न से कपड़े के रूपांतरण अनुपात के सेट पर आधारित #-(अप्रैल-अगस्त)

तालिका-8: भारत से हस्तशिल्प सहित कपड़े एवं वस्त्र उत्पादों का निर्यात (मिलियन अमेरिकी डालर)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कपड़ा एवं वस्त्र	35,995	35,372	35,666	36,627
हस्तशिल्प	3,293	3,639	3,573	3,804
हस्तशिल्प सहित कुल कपड़ा एवं वस्त्र	39,288	39,011	39,239	40,431
भारत का समग्र निर्यात	2,62,290	2,75,852	3,03,376	3,29,536
समग्र निर्यात में कपड़े एवं वस्त्र के निर्यात का भाग (प्रतिशतता में)	15	14	13	12

स्रोत: कपड़ा मंत्रालय

अवसंरचना

8.19 यह एक सुस्थापित तथ्य है कि विकास के लिए अवसंरचना निवेश आवश्यक है। विद्युत की उपलब्धता में कमी से मंहगी कैप्टिव पावर पर निर्भरता बढ़ती है जिसके कारण लागतें बढ़ती हैं और अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्द्धा की भावना का ह्रास होता है। परिवहन अवसंरचना की अपर्याप्रता से कच्चे माल की आपूर्ति करने तथा तैयार माल की बाजार स्थल तक लाने ले जाने दोनों ही मामलों में अवरोध उत्पन्न होते हैं। यदि उत्तम गुणवत्ता वाली ग्रामीण सड़कों के माध्यम से कोई संपर्क स्थापित न हो तो किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत नहीं मिलती जिसके कारण उच्च समग्र विकास प्रदर्शन के पूर्ण लाभ प्राप्त न होकर ग्रामीण आय निचले स्तरों पर बनी रहती है। इन सभी कारणों के समाधान के लिए, तथा आर्थिक विकास को समावेशी बनाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था करना आवश्यक है। अभी हाल ही में, भारत ने वित्त वर्ष 2020-2025 की अवधि के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा (नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन) जारी की है (बॉक्स 1)।

बॉक्स 1: राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा 2020-2025

विकास के लिए अवसंरचना में निवेश आवश्यक होता है। वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी प्राप्त करने के लिए भारत को इन वर्षों के दौरान अवसंरचना पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर (100 लाख करोड़ रु.) का व्यय करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए वार्षिक अवसंरचना-निवेश को बढ़ाने की चुनौती से निपटना होगा ताकि अवसंरचना की अपर्याप्तता के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध उत्पन्न न हो सकें। इस स्तर के अवसंरचना कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उचित परियोजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जाएं।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 में से प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा (एनआईपी) का खाका खींचने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में, सितंबर 2019 में एक अंतर-मंत्रालय कार्यबल का गठन किया गया।

एनआईपी से ऐसी सुविचारित समर्थ अवसंरचना परियोजनाएं तैयार करने का की आशा है जो नौकरियों का सृजन करें, जीवन सुविधाओं का संवर्धन करें और सबके लिए अवसंरचना की समान उपलब्धता प्रदान करें तथा जिससे विकास और अधिक समावेशी बनें। जीडीपी के अल्पकालिक तथा संभावित शोधन हेतु अवसंचनागत विकास में आपूर्ति पक्ष संबंधी हस्तक्षेप करने का भी एनआईपी का उद्देश्य है। संरचनागत क्षमताओं के संवर्धन से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पद्धी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्त मंत्री ने दिनांक 31.12.2019 को राष्ट्रीय अवसंरचना रूपरेखा पर रिपोर्ट (संक्षिप्त संस्करण) जारी की। एनआईपी में, भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान कुल 102 लाख करोड़ रु. के अवसंरचना निवेश की योजना है। उक्त अवधि के दौरान, प्रस्तावित पूंजी व्यय में ऊर्जा (24 प्रतिशत), सड़क (19 प्रतिशत), शहरी (16 प्रतिशत) और रेलवे (13 प्रतिशत) से संबंधित राशि 70 प्रतिशत से अधिक होगी।

एनआईपी के अनुसार, केन्द्रीय सरकार (39 प्रतिशत) और राज्य सरकार (39 प्रतिशत) से इन परियोजनाओं के वित्तपोषण में समान हिस्सेदारी किया जाना प्रत्याशित है और शेष का वित्तपोषण निजी क्षेत्र (22 प्रतिशत) द्वारा किया जाएगा। यह प्रत्याशा भी है कि वर्ष 2025 तक इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो जाएगी। 102 लाख करोड़ रुपए कुल प्रत्याशित पूंजीगत व्यय में से 42.7 लाख करोड़ मूल्य (42 प्रतिशत) की परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है, 32.7 लाख करोड़ मूल्य (32 प्रतिशत) की परियोजनाएं वैचारिक अवस्था में है और बाकी विकास अवस्था में है। इसलिए लगभग दो तिहाई पाइपलाइन लगाई जा चुकी है। यह भी प्रत्याशित है कि कुछ राज्यों की परियोजनाओं को नियत समय में पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा। निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एनआईपी) परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

मंत्रालय/विभाग	वित्त वर्ष 20-25 (राशि करोड़ रुपये में)
विद्युत	11,75,995
नवीकरणीय ऊर्जा	9,29,500
परमाणु ऊर्जा	1,54,088

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	1,94,666
कुल ऊर्जा	**2,454,249**
सड़क	19,63,943
रेल	13,68,523
पत्तन	1,00,923
विमान पत्तन	1,43,398
शहरी (एएमआरयूटी, स्मार्ट शहर, एमआरटीएस, वहनीय आवास जल जीवन मिशन)	16,29,012
दूरसंचार	3,20,498
सिंचाई	7,72,678
ग्रामीण अवसंरचना	
ग्रामीण अवसंरचना	4,10,955
जल एवं स्वच्छता	3,61,810
कुल ग्रामीण अवसंरचना	**7,72,765**
कृषि अवसंरचना	54,298
खाद्य संसाधन उद्योग	1,255
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	5,000
कुल कृषि एवं खाद्य संसाधन अवसंरचना	**60,553**
उच्चतर शिक्षा	1,18,348
स्कूल शिक्षा	37,791
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,68,622
क्रीड़ा	7618
पर्यटन	24,321
कुल विशेष अवसंरचना	**3,56,701**
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार	2,99,237
इस्पात	8,225
कुल औद्योगिक अवसंरचना	**3,07,462**
जोड़ (करोड़ रुपए में)	**102,50,704#**

टिप्पणी: #- 31.12.2019 के अनुसार अन्य डाटा उपलब्ध होने पर परिवर्तनीय

कार्यदल द्वारा कई मुख्य क्षेत्रीय नीतियों में अपेक्षित परिवर्तनों और अवसंरचना कंपनियों के लिए संतुलित बाँड़ बाजार विकसित करने, अवसंरचना से संबंधित विवादों के शीघ्र समाधान, बेहतर एवं संतुलित पीपीपी संविदाओं के माध्यम से ईष्टतम जोखिम हिस्सेदारी और स्वच्छता एवं संविदाओं की बाध्यता जैसे केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अन्य सुधार पहलों में अपेक्षित परिवर्तन के संबंध में अपनी सिफारिश की गई हैं।

निवल ब्याज अदायगी (एनआईपी) में वित्त वर्ष 20-25 की अवधि तक देश को अवसंरचना परिदृश्य दिया गया है। यह देश में किया गया पहला ही कार्य है। परंतु यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की वित्त व्यवस्था करना एक चुनौती भरा कार्य होगा। उम्मीद है कि सुव्यवस्थित परियोजनाओं से केंद्र एवं राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकाय, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, पीईफंड और प्राइवेट निवेशक, (स्थानीय और विदेशी दोनों) निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे।

क्षेत्रीय विकास

सड़क क्षेत्र

8.20 सड़क परिवहन, सकल मूल्य वर्धित (जीएवी) और यातायात भागीदारी में इसके योगदान के संदर्भ में परिवहन का प्रबल स्वरूप है। वर्ष 2017-18 के लिए जीवीए में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी लगभग 4.77 प्रतिशत है जिसमें सड़क परिवहन की हिस्सेदारी सबसे अधिक 3.06 प्रतिशत है उसके बाद रेलवे (0. 75 प्रतिशत), हवाई यातायात (0.15 प्रतिशत) और जल परिवहन (0.06 प्रतिशत) की हिस्सेदारी है। इसी तरह से राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन देशभर में भाड़ा एवं यात्री यातायात क्रमशः 69 प्रतिशत और 90 प्रतिशत होने की संभावना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सड़क नेटवर्क, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग, के विकास एवं रखरखाव एवं मोटर वाहन अधिनियम जिसके अधीन सड़क परिवहन से संबंधित व्यापक नीतियां बनाई गई है, का कार्यान्वयन अनिवार्य कर दिया गया।

8.21 देश में सड़क नेटवर्क: अर्थव्यवस्था के शीघ्र विकास के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क का होना आवश्यक है। सड़कें सुदूर क्षेत्रों को जोड़ती है, पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है और बाजारों में पहुंचने, व्यापार एवं निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। सड़कों को अलग करने के रूप में नहीं बल्कि उस एकीकृत बहु-मॉडल परिवहन प्रणाली के भाग रूप में देखा जाना चाहिए जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पोर्ट और अन्य तर्कसंगत हब से सीधी जुड़ी हुई हैं। भारत के पास तारीख 31.03.2018 तक लगभग 59.64 किमी सड़क नेटवर्क था। 1 मार्च, 2019 तक 1.32 लाख किमी लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग थे। इसका राज्य-वार वितरण मानचित्र 1 में दिया गया है। जिस गति से सड़कों का निर्माण हुआ है, वर्ष 2015-16 में 17 किमी प्रतिदिन से वर्ष

मानचित्र 1: 01.03.2019 को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच) की राज्य/संघ राज्यवार सघनता (प्रति 1000, वर्ग कि. मी. क्षेत्र में)

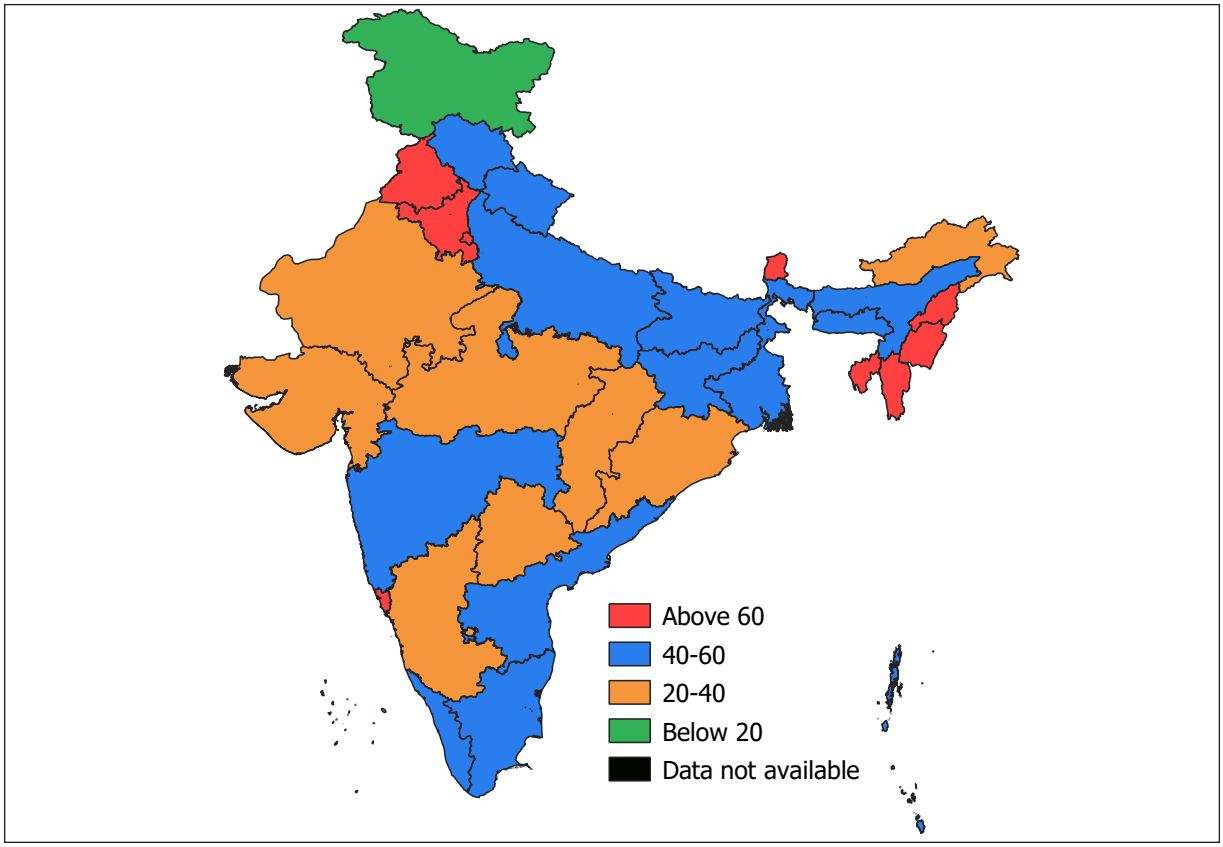

स्रोत: एन एच ए आई वेबसाइट

2018-19 में 29.7 कि.मी. महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2019-20 में इसकी गति में कुछ कमी आई है। (तालिका 9)

8.22 सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में कुल निवेश वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक पांच वर्ष की अवधि में तीन गुना से अधिक हुआ है (चित्र 14)

तालिका 9: अधिनिणित और निर्मित सड़कों की लंबाई (लंबाई किमी में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 #
Award of NHs/Road projects	10,098	15,948	17,054	5,494	2,103
Construction of NHs/Roads	6,061	8,231	9,829	10,855	4,622
Road construction per day	17	23	27	29.65	12.7

स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

टिप्पणी: # -दि. 30.09.2019 को यथास्थिति

चित्र 14: सड़क निर्माण क्षेत्र में निवेश (रू० करोड़ में)

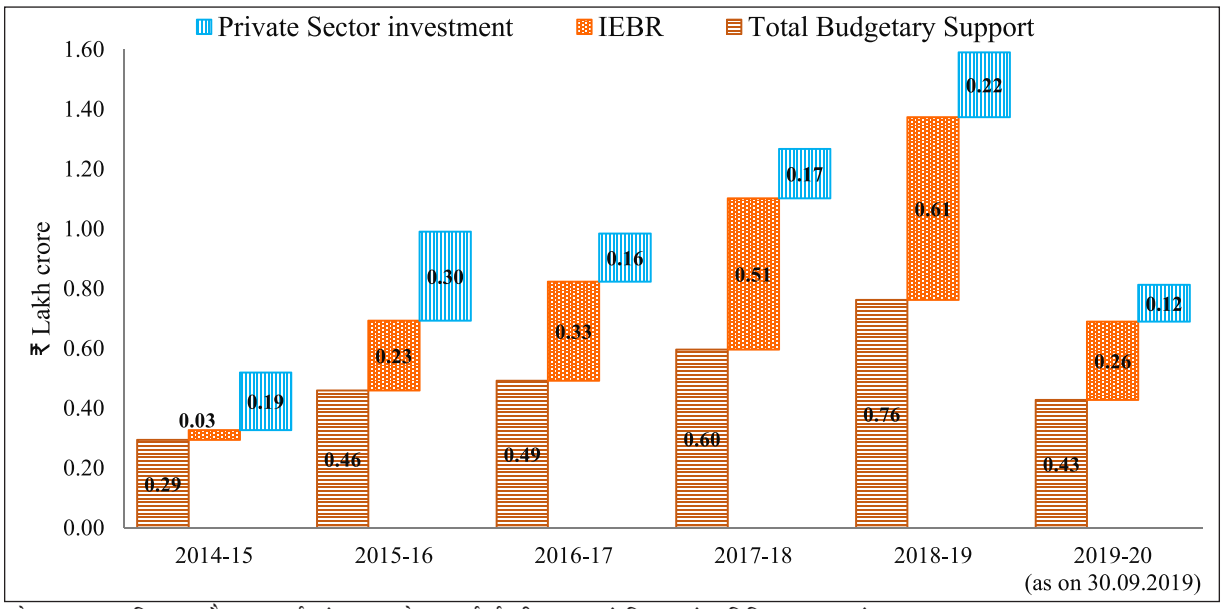

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नोट: आई ई बी आर-आंतरिक एवं अतिरिक्त बजट संसाधन

रेलवे

8.23 भारतीय रेलवे (भा०रे०) एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 कि.मी. से अधिक रेलमार्ग के साथ विश्व में तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2018-19 के दौरान, 120 करोड़ टन माल ढुलाई और 840 करोड़ यात्रियों की संख्या के साथ विश्व में सर्वाधिक यात्रियों को लाने-ले जाने वाली रेलवे रही है तथा माल ढुलाई का चौथा सबसे बड़ा साधन रही है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2017-18 के दौरान 11,596 लाख टन राजस्व अर्जक माल भाड़ा लदान की तुलना में वर्ष 2018-19 में 12,215 लाख टन का राजस्व अर्जक माल भाड़ा लदान किया था और इसमें 5.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है (चित्र 15) । वर्ष 2018-19 में 84,390 लाख यात्रियों ने यात्रा शुरू की जो कि वर्ष 2017-18 में 82,858 लाख यात्रियों की तुलना में 1.85 प्रतिशत अधिक रही (चित्र 16)।

8.24 रेल सुरक्षा: भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिक दी गई है और दुर्घटनाओं को रोकने तथा यात्रियों की सुरक्षा में बेहतरी के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रयास के फलस्वरूप, वर्ष 2018-19 में रेल दुर्घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष की संबंधित अवधि की तुलना में 73 से घटकर 59 हो गई है। वर्ष 2019-20 (अप्रैल-अक्टूबर 2019) में 41 रेल दुर्घटनाएँ हुई हैं (तालिका 10)।

चित्र 15: राजस्व अर्जक माल भाड़ा लदान प्रवर्तक यातायात (लाख टन)
कोंकण रेलवे द्वारा किए गए लदान को छोड़कर

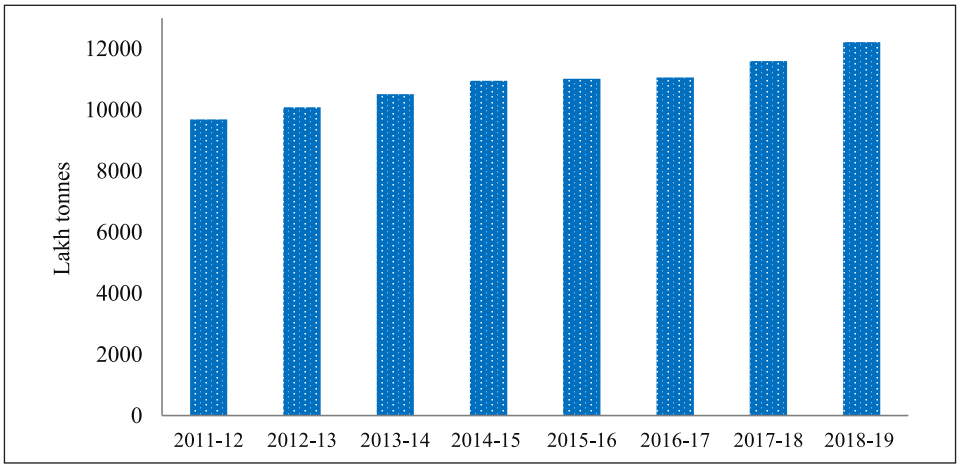

स्रोत: रेल मंत्रालय

चित्र 16: यात्री प्रवर्तन (लाख में) तथा यात्री आय (₹ करोड़ में)
(मेट्रो रेल/कोलकाता सहित)

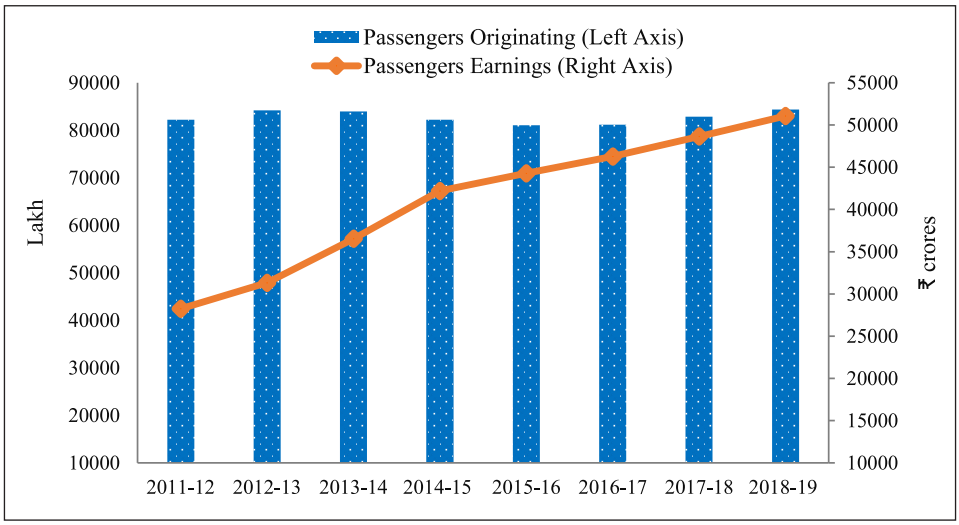

स्रोत: रेल मंत्रालय

तालिका 10: रेल दुर्घटनाओं की दर

दुर्घटनाओं के प्रकार	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (April to October)
टक्कर	5	3	0	3
पटरी से उतरना	78	54	46	29
कर्मचारी की तैनाती वाले समपार स्थल पर दुर्घटनाएँ	0	3	3	1
मानवरहित समपार स्थल पर दुर्घटनाएँ	20	10	3	0
ट्रेन में अग्नि दुर्घटनाएँ	1	3	6	7
विविध	0	0	1	1
कुल	104	73	59	41

स्रोत: रेल मंत्रालय

8.25 भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता एवं पर्यावरण के संबंध में की गई पहल: भारतीय रेल 8,700 से अधिक स्टेशनों को कवर करती है और इसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 230 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। स्वच्छता एक सतत् प्रक्रिया है और स्टेशनों तथा रेल डिब्बों के उचित रख-रखाव एवं उन्हें स्वच्छ रखने हेतु सभी प्रयास किए गए हैं। भारतीय रेलवे द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण एवं संधारणीय सुधारों के विशेष उद्देश्य के साथ तभी से नियमित रूप से गहन अभियान आयोजित किए जाते रहे हैं। स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत के तहत की गई प्रगति तालिका 11 में दर्शाई गई है।

तालिका 11: स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत की प्रगति

कार्यकलाप	31.03.2015 तक स्थिति	31.03.2019 तक स्थिति	31.10.2019 तक स्थिति
यात्री डिब्बों में जैव शौचालय (संख्या)	19,746	1,95,917	2,26,000
स्टेशनों पर यांत्रिक सफाई संविदा	584 स्टेशन	890 स्टेशन	940 स्टेशन
प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन	शून्य	128 स्टेशन	215 स्टेशन
कूड़ा बीनने की संविदाएँ	877 स्टेशन	1,280 स्टेशन	1,300 स्टेशन
कचरे के डिब्बे	केवल कुछ स्टेशनों पर उपलब्ध	Provided at all major stations	सभी प्रमुख स्टेशनों पर उपलब्धा (सूखे और गीले कचरे के लिए अलग-अलग)
रेलवे स्टेशनों का ई एम एस (पर्यावरण प्रबंधा प्रणाली) (आई एस ओ: 14001) प्रमाणन	शून्य	8 स्टेशन	75 स्टेशन
स्टेशनों की स्वच्छता के लिए आबंटित निधियाँ (करोड़ रू. में)	294	643	643

स्रोत: रेल मंत्रालय

8.26 स्टेशनों का आधुनिकीकरण: भारतीय रेलवे में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/उन्नयन सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जाने हेतु 1,253 स्टेशनों की पहचान की गई हे और 2019-20 तक इन्हें विकसित कर लिए जाने की योजना है। इन रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा करने हेतु एक समर्पित एसपीवी, भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आइ आरएसडीसी) लिमिटेड, का गठन किया गया है। आई आर एस डी सी कई स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य पीपीपी मोड में कर रहा है।

नागर विमानन

8.27 भारत विश्व में नागर विमानन के लिए तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है। भारत में हवाई अड्डों के प्रचालन, अनुरक्षण और विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक रूप में प्रबंधित 136 हवाई अड्डे तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 6 हवाई अड्डे हैं। भारत में एयरलाइन ऑपरेटरों ने अपनी एयरक्राफ्ट सीट क्षमता को वर्ष 2013 में 0.07 वार्षिक प्रति व्यक्ति सीट से बढ़ाकर वर्ष 2018 में 0.12 वार्षिक प्रति व्यक्ति सीट कर लिया है। इस अवधि के दौरान विश्व में दूसरे सबसे बड़े घरेलू बाजार चीन में तुलनात्मक ऑकलन वर्ष 2013 में 0.33 तथा 2018 में 0.49 था जबकि सबसे बड़े घरेलू बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में यह आंकड़ा वर्ष 2013 में 2.59 और 2018 में 2.95 था।

8.28 भारतीय विमानन क्षेत्र ने वर्ष 2019-20 में अपने लचीलेपन को पुन: सिद्ध किया। 17 अप्रैल, 2019 को

बड़े पैमाने पर एयरलाइन सेवाओं के निलंबित रहने के बावजूद इस क्षेत्र ने यात्री तथा एयर कार्गो क्षमता में कभी को शीघ्रतापूर्वक ही पूरा कर लिया (चित्र 17)। हवाई अड्डों पर कुल यात्री संख्या (घरेलू एंव अंर्तराष्ट्रीय) तथा संचालित एयर कार्गो की प्रवृत्ति को क्रमशः चित्र 18 और 19 में दर्शाया गया है। हवाई अड्डों पर स्वचालन व्यवस्था के माध्य से क्षमता उपयोग में भी वृद्धि की जा रही है। इसका समग्र उद्देश्य बढ़ती मांग को पूरा करना तथा वैश्विक श्रेष्ठतम कार्यप्रणाली और निष्पादन गुणता मानकों को स्थापित करना है। सेवारहित हवाई अड्डों (उड़ान) के संचालक हेतु योजना चलाए जाने से लेकर अब तक कुल 43 हवाई अड्डों का संचालन किया गया है, जिसमें से 04 का संचालन वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया है। हवाई अड्डा संपर्क के संबंध में भारत विश्व आर्थिक फोरम की वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 में 7 अन्य देशों (यूएसए, चीन, जापान, यूके आदि) के साथ प्रथम स्थान पर है।

8.29 वर्तमान वायुपत्तन क्षमताओं पर भार कम करने के लिए 100 और विमानपत्तनों पर वित्त वर्ष 2023-24 (चित्र 20) तक परिचालन शुरू किया जाना है। 46 विमानपत्तन पटिटयों के उपयोग किए जाने के अतिरिक्त 16 प्राइवेट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 15 ए.ए.आई. विमानपत्तन, 31 हेलीपोर्ट और 12 वाटरड्रोम्स का विकास किया जाना है। दक्षता और संसाधन को लाने के लिए छह विमानपत्तनों, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, मेंगलोर तथा तिरूवनंतपुरम को पब्लिक प्राइवेट परिपर मॉडल (सार्वजनिक-निजी सहभागिता मॉडल) के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। पांच नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों का दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), शिरडी (महाराष्ट्र), पेकयांग (सिक्किम) और कन्नूर (केरल) तथा कलबुर्गी (कर्नाटक) में सफलतापूर्वक इस वर्ष से परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है। उच्च दर के विकास वक्र की निरंतरता में सरकार ऐसा अनुकूल ढांचा उपलब्ध करवाना चाह रही है जिससे कि भारतीय विमान अपने बेड़े को दोगुना बढ़ा सकें (अनुसूचित एयरलाइनों के अनुमोदित वायुयानों की संख्या) अर्थात नवंबतर 2019 के अंत से वित्त वर्ष 2023-24 तक 680 वायुयानों से बढ़कर 1200 वायुयान बेड़े में हो जाएं। उक्त की प्राप्ति एयरक्रॉट इक्विपमेंट, से संबंधित केप टाऊन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल के उपबंधों का अनुपालन करके एयर ट्रैफिक अधिकारा के दक्ष प्रयोग तथा वायुयानों के लिए वित्त पोषण/लीज पर दिए जाने की दरों में कमी, घरेलू व अंतरर्राष्ट्रीय पैसेंजरों व पण्य अंतरण और टैक्स नियमों को युक्तिसंगत करके प्राप्त किया जा सकता है।

चित्र 17: भारत का अनुसूचित प्रचालनिक वाणिज्यिक बेड़ा (संख्या में)

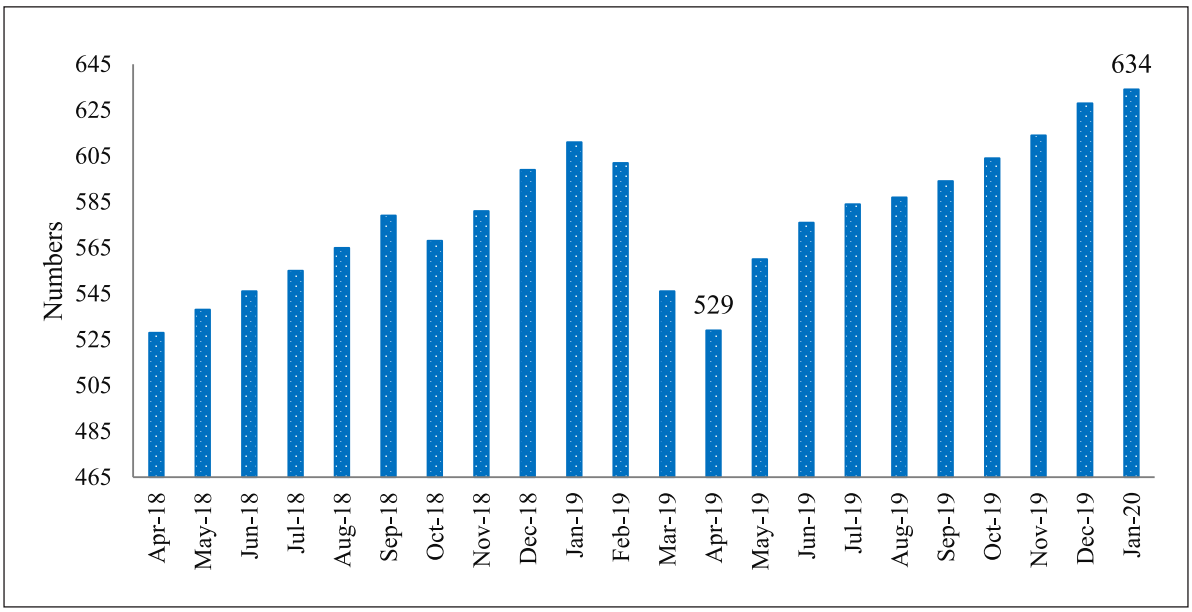

स्रोतः नागरिक विमानन मंत्रालय

चित्र 18: भारतीय विमान पत्तनों पर वहन किए गए यात्री

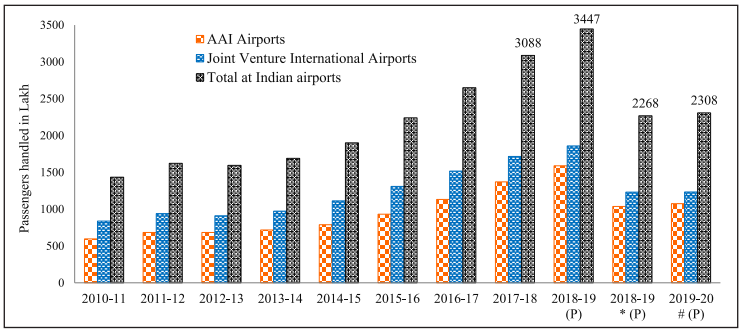

स्रोत: नागर विमानन मंत्रालय

टिप्पणी: (पी)-अनंतिम, *-(अप्रैल-नवंबर, 2018), #-(अप्रैल-नवंबर, 2019)

चित्र-19: भारतीय विमानपत्तनों द्वारा वहन किया गया कार्गो

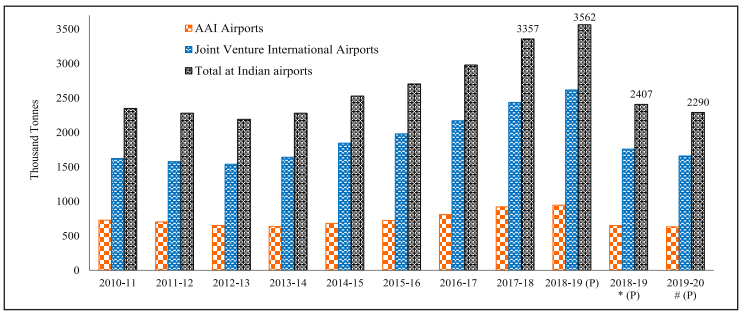

स्रोत: नागर विमानन मंत्रालय

टिप्पणी: (पी)-अनंतिम, *-(अप्रैल-नवंबर, 2018), #-(अप्रैल-नवंबर, 2019)

चित्र 20: विकसित की जाने वाली अतिरिक्त विमानपत्तन क्षमता (विमानपत्तनों की संचयी संख्या)

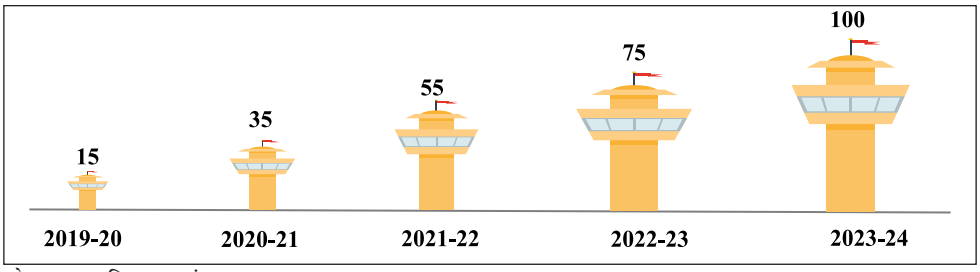

स्रोत: नागर विमानन मंत्रालय

नौपरिवहन

8.30 किसी भी देश के पण्य लेन देन (वस्तुओं व सेवाओं का लेन) के लिए नौपरिवहन आवश्यक होता है। भारतीय व्यापार का मात्रा की दृष्टि से लगभग 95 प्रतिशत तथा मूल्य की दृष्टि से लगभग 68% भाग नौ-परिवहन द्वारा किया जाता है। सामान्यत: वैश्विक नौपरिवहन उद्योग के निष्पादन का भारतीय नौपरिवहन द्वारा अनुकरण किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत का नौपरिवहन द्वारा किए जाने वाले व्यापार का 'कुल टन भार' (जी टी) केवल 1.92 लाख था। इसमें धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी हुई किंतु वास्तव में वर्ष 2004-05 के आरंभ तक यह 70 लाख पर स्थिर हो गया। तथापि भारत सरकार द्वारा तट कर संबंधी नियमों में किए गए सुधार से भारतीय बेड़ों की संख्या तथा लदान भार दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि यह तथ्य सुस्पष्ट है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती से सामान्य तौर पर वैश्विक नौपरिवहन, तथा विशेषकर भारतीय, नौपरिवहन उद्योग भी प्रभावित हुआ है।

8.31 30 सितंबर, 2019 तक भारत के बेड़ों में 1,419 पानी के जहाज थे। (चित्र 21) इंस्टीट्यूट ऑफ़ शिपिंग इक्नॉमिक्स एंड लॉजिस्टिक्स (भारतीय नौपरिवहन अर्थव्यवस्था और संभार-तंत्र संस्थान) के अनुसार 1 जनवरी 2019 तक विकासशील देशों में सबसे अधिक जहाजों की संख्या वाले देशों में से एक देश होने के बावजूद वैश्विक लदान क्षमता (डेड वेट टनेज) की तुलना में भारत का हिस्सा केवल 0.9 प्रतिशत है। वर्तमान भारतीय बेड़े (जहाज) पुराने हो चले हैं। वर्ष 1999 तक जिन जहाजों की आयु अवधि 15 वर्ष थी वह अब 1 अक्तूबर 2019 तक, बढ़कर 19.71 वर्ष हो गई है (बेड़े में 42.06% जहाज 21 वर्ष पुराने हैं तथा 12.49% जहाज 16-20 वर्ष पुराने समूह में आते हैं ।

चित्र 21 बेड़ों में जहाजों की संख्या

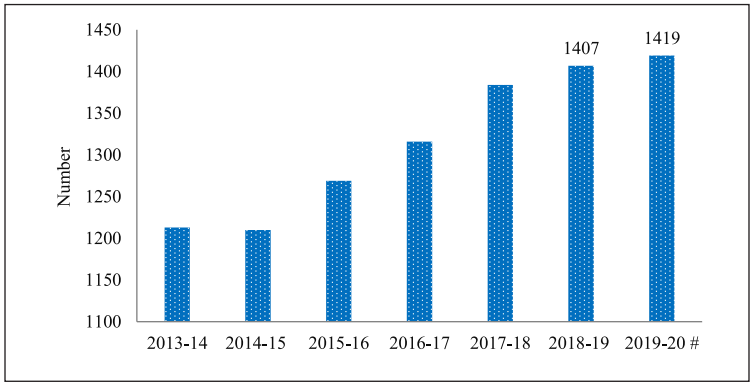

स्रोत: पोत परिवहन मंत्रालय
नोट: # तारीख 30 सितंबर 2019 तक

8.32 पत्तन क्षेत्र: मार्च 2019 तक देश के प्रमुख नौ पत्तनों की अधिकतम क्षमता 1514.09 मिलियन टन प्रति वर्ष रही है और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान यहां 699.09 मिलियन टन कार्गो (ट्रैफिक) को हैंडल किया गया है। प्रमुख पत्तनों की क्षमता बढ़ाए जाने के क्रम में नौपरिवहन मंत्रालय द्वारा यंत्रीकरण, डिजटलीकरण और प्रक्रिया सरलीकरण के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार लाया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दक्षता संबंधी कारकों (पैरामीटर) में व्यापक सुधार होने लगा है। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में एवरेज टर्न अराउंड टाइम 64.43 से सुधरकर 59.51 घंटे हो गया है। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में 'एवरेज आउटपुट प्रति शिप-बर्थ-डे' 15,333 टन से बढ़कर 16,541 टन हो गया है (तालिका 12)।

तालिका 12: भारत में प्रमुख नौपत्तनों के निष्पादन सूचक

प्रचालन	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (upto September, 2019)
संचालित यातायात (एमएमटी में)	545.79	555.49	581.34	606.47	648.4	679.37	699.09	348.45
औसत टन एरांउण्ड टाइम (छोटी में)	101.76	93.6	96	87.36	82.32	64.32	59.51	64.69
प्रतिदिन प्रति जहाज प्रतिबर्थ औसत आउटपुट (टन में)	11800	12468	12458	13156	14576	15333	16541	16014
अधिक्य (करोड़ में)	1807.43	2518.9	3599.4	4296.56	4979.58	5856.33	6424.36	Not Available

स्रोत: पोत परिवहन मंत्रालय

दूरसंचार क्षेत्र

8.33 भारत में कुल टेलिफोन कनेक्शन 2014-2015 में 9,961 लाख से 18.8 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में 11,834 लाख हो गए हैं। 30 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार, ग्राहकों की कुल संख्या 11.943 लाख (चित्र 22) पहुंच गयी हैं जिसमें से 5,147 लाख कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 6,796 लाख कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में थे। लैंडलाइन टेलिफोन कनेक्शन 206 लाख थे जबकि बेतार टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या सितम्बर, 2019 में 11,736 लाख हो गई। सितम्बर, 2019 के अंत तक बेतार टेलीफोन व्यवस्था अब कुल टेलीफान कनेक्शनों 98.27 प्रतिशत है जबकि लैंडलाइन टेलिफोनों का शेयर अब 1.73 प्रतिशत ही है। भारत में कुल टेलिफोन घनत्व 90.45 प्रतिशत है, ग्रामीण टेलीफोन घनत्व 57.35 प्रतिशत और शहरी टेलीफोन घनत्व 160.71 प्रतिशत हैं। सितम्बर, 2019 के अंत में, निजी क्षेत्र 88.81 प्रतिशत (10,606 लाख कनेक्शन) के साथ सबसे ऊपर है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 11.19 प्रतिशत (1,336 लाख कनेक्शन) था ।

चित्र 22: वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितम्बर) तक कुल टेलीफोन कनेक्शन (लाख में)।

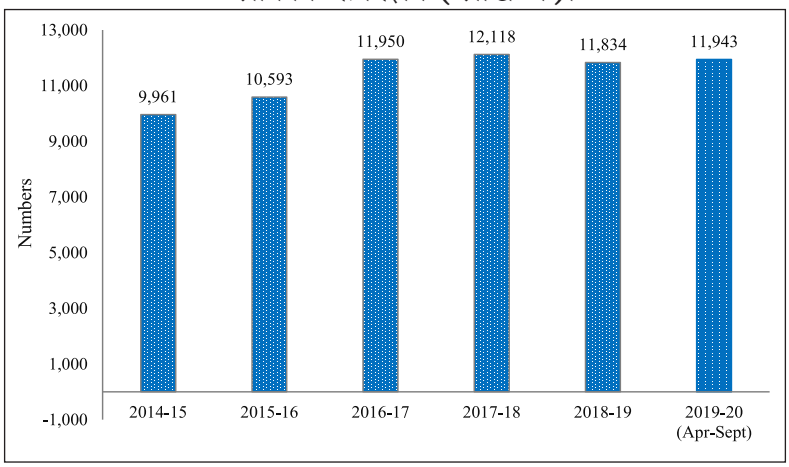

स्रोत: दूरसंचार विभाग

8.34 भारत में इंटरनेट और ब्रॉडबेंड पहुच की गति तीव्र रही है। इंटरनेट ग्राहकों (ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों) की संख्या वर्ष 2014 में 2,516 लाख की तुलना में जून, 2019 के अंत में 6,653 लाख हो गई। मोबाइल इंटरनेट ग्राहकों की संख्या जून, 2019 के अंत में 6,436 लाख थीं जबकि तार लाइन के इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 217 लाख थी। कुल ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या वर्ष 2014 में 610 लाख से दस गुना बढ़कर जून, 2019 में 5,946 लाख हो गई। इससे इंटरनेट व्यापार में वृद्धि तेज हुई है और डाटा प्रयोग वर्ष 2018 में 462 लाख टेराबाइट के स्तर को छू गया है जो कि अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। भारत अब मासिक डाटा उपयोग में वैश्विक अगुआ है, जिसमें प्रति ग्राहक प्रतिमाह औसत खपत वर्ष 2014 में 62 एमबी से 157 गुना बढ़कर जून, 2019 में 9.8 जीबी हो गई है। डाटा की लागत भी काफी हद तक घटी है, जिसके कारण लाखों नागरिकों इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करने में समर्थ हुए है।

8.35 चुनौतियां: इस क्षेत्र में चार प्रमुख कंपनिया है, निजी क्षेत्र में -3 और सार्वजनिक क्षेत्र में बीएसएनएल और एमटीएनएल 4 मुख्य सेवा प्रदाता कंपनियां है, जो पारस्परिक रूप से विशिष्ट अंचलों में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2016 तक, यह क्षेत्र टेलीफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और कीमत कटौती का क्षेत्र रहा है जिससे इस क्षेत्र में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ है। परिणाम स्वरूप, इस क्षेत्र में समेकन का अनुभव किया जा रहा है। जबकि कुछ प्रचालकों ने दिवालियापन के लिए फाइल किया है, और अन्य कंपनियों ने बाजार में अपने अस्तिव को बनाए रखने के लिए विलय किया गया है। देश में डाटा की कीमत विश्व में सबसे कम है। जून, 2019 को समाप्त तिमाही में, डाटा की कीमत

जून, 2016 में 200/- रुपये प्रति जीबी की तुलना में 7.7/- रुपये प्रति जीबी थी। जीएसएम आधारित मोबाइल सेवाओं के लिए प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में भी काफी कमी आई है और यह जून, 2016 में 126 रुपये से घटकर जून, 2019 में 74.30 रुपये रह गई है।

8.36 बीएसएनएल और एमटीएनएल भी टैरिफ-वार से प्रभावित हुए हैं जिसका प्रभाव उनकी नकदी प्रवाह पर पड़ा है और उसके परिणामस्वरूप घाटा बढ़ता जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों की बहाली के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। इस बहाली योजना में अनेक उपाय है जिनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के माध्यम से कार्मिक लागत में कमी करना, 4 जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के आबंटन, भूमि/भवन के मुद्रीकरण, बीएसएनएल/एमटीएनएल की टावर एवं फाबर परिसंपत्तियां, सॉवरेन गारंटी बॉंड के माध्यम से ऋणों का भुगतान और बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के विलय के लिए 'सिद्धांत' अनुमोदन भी है।

दूरसंचार अवसंरचना और संयोजनता (कनेक्टीविटी)

8.37 (i) भारत नेट: डिजिटल भारत अभियान के अंग के रूप में ब्रॉंडबैंड हाईवे विकसित करने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सरकार देश में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए फ्लैगशिप भारत नेट कार्यक्रम चरणबद्ध रूप लागू कर रही है। इस परियोजना में ऑप्टीकल फाइबर, रेडियो और सेटेलाइट मीडिया को इष्टतम रूप में मिलाने पर विचार किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित ब्रॉडबैंड अवसंरचना सभी श्रेणी के सेवा प्रदाताओं के लिए समान रूप से उपलब्ध होगी। (ii) सरकारी वाई-फाई पहुंच: सरकारी वाई-फाई हॉटस्पॉट से प्रयोक्ताओं को ब्रॉडबैंड की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित होती है और नए मोबाइल टावर जोड़ने की अपेक्षा इसका प्रयोग अत्यधिक सुगम है। (iii) (iii) टावर और बीटीएस: मोबाइल बेस प्रेषाभिग्री केंद्र (बीटीएस) में 2014 में 7.9 लाख से (जुलाई, 2019) में 21.8 लाख के रूप में वृद्धि देखी गई है। जबकि ओप्टीकल फाइबर के बिल इस अवधि के दौरान 7 लाख किलोमीटर से बढ़कर लगभग 14 लाख किलोमीटर हो गई है। (iv) वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए परियोजना; दूरसंचार विभाग ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में जो वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र है, 4,781 करोड़ रुपये की पूंजी परिव्यय की सहायता से 2,335 स्थानों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की एक योजना कार्यान्वित की है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

8.38 भारत विश्व में यूएसए और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है (चित्र 23)। विश्व के 5.8 प्रतिशत मुख्य ऊर्जा उपयोग हिस्से के साथ, भारत की ऊर्जा आवश्यकता को मुख्यत: कोयला, कच्चा तेल, नवीकरणीय ऊर्जा और प्राकृतिक गैस द्वारा पूरा किया जाता है। तथापि, भारत का तेल उत्पादन विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में निम्नतम में से एक है और इसमें लम्बे समय से लगातार गिरावट आ रही है (चित्र 24)।

चित्र-23: वर्ष 2017 में विश्व में शीर्ष 10 तेल उपभोक्ता देश

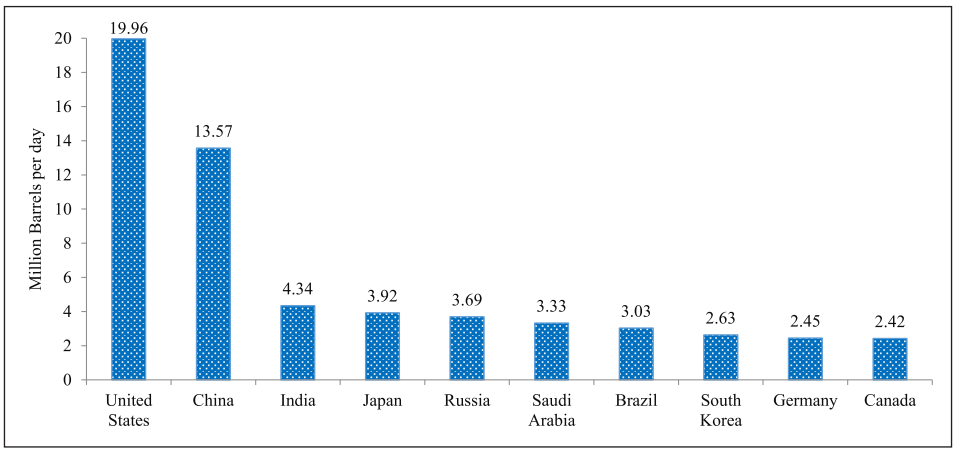

स्रोत: यूएस ऊर्जा सूचना प्रशासन।

टिप्पणी: तेल में कच्चा तेल, अन्य सभी पेट्रोलियम द्रव और जैव ईंधन शामिल है।

चित्र 24: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेल उत्पादन की प्रवृत्तियां

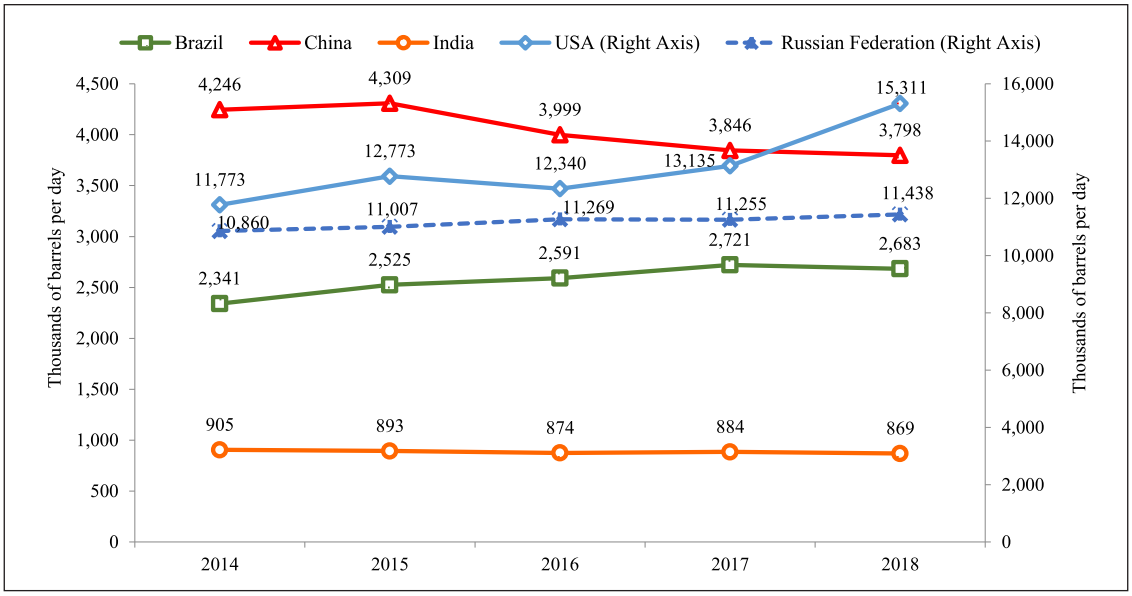

स्रोत: विश्व ऊर्जा 2019 की बीपी सांख्यिकीय समीक्षा।

टिप्पणी: तेल उत्पादन में कच्चा तेल, शेल तेल, तेल रेत, संघनक एवं प्राकृतिक गैस द्रव (एनजीएल) शामिल है।

8.39 वर्ष 2019-20 में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 32.6 एमएमटी रहने का अनुमान है। चित्र 25 (क) में कच्चे तेल की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है, जिसमें तटवर्ती के साथ-साथ अपतटीय कच्चे तेल के उत्पादन में वर्ष 2014-15 से अनुरूपी गिरावट देखी गई है। कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के लिए पुराने और परिपक्व तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक ह्रास को और तेल की कोई बड़ी खोज न हो पाने को जिम्मेदार माना जा सकता है। उल्लेखनीय यह है कि कच्चे तेल के तटवर्ती भंडारों में तीव्र गिरावट के साथ वर्ष 2014 से कच्चे तेल के स्थापित भंडारों में भी सहवर्ती गिरावट हुई है (चित्र 25 (ख)। तथापि, वर्ष 2018 तक तेल भंडारों में हुई गिरावट के बाद वर्ष 2019 में व्युत्क्रम देखा गया है, इसमें 2018 के 594 एमएमटी के भंडार बढ़कर वर्ष 2019 में 619 एमएमटी हो गए हैं।

चित्र 25: कच्चे तेल का तटवर्ती एवं अपतटीय उत्पादन एवं भंडार

(क) कच्चे तेल का उत्पादन

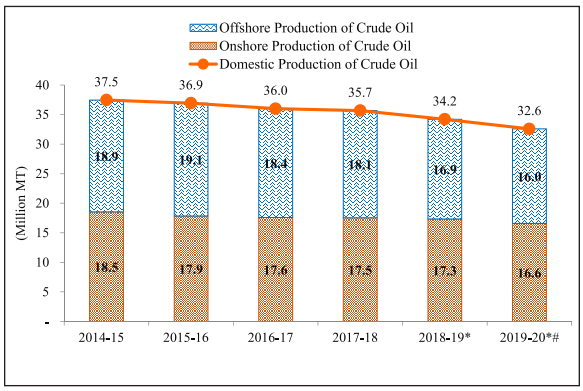

(ख) कच्चे तेल के भंडार

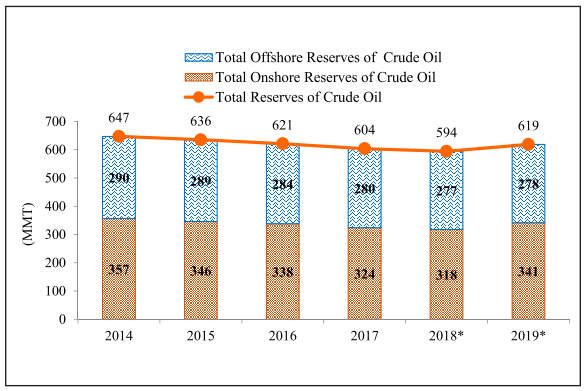

स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तथा आर्थिक समीक्षा परिकलन।

टिप्पणी: *-अनंतिम।

#वर्ष-2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2019-20 का कच्चा तेल उत्पादन

$: वर्ष के 01 अप्रैल को यथास्थिति, स्थापित भंडार।

8.40 वर्ष 2019 में कच्चे तेल के भण्डार की वृद्धि तटवर्ती एवं अपतटीय उत्पादन में होने वाली वृद्धि के अनुरूप है, इसमें अपतटीय भण्डार में वृद्धि की दर अधिक रही। यह अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने, घरेलू एवं विदेश निवेश को आकर्षित करने तथा मौजूदा क्षेत्रों से तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृति गैस मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों का परिणाम है। चित्र 26(क) में यह दर्शाया गया है कि तटवर्ती कच्चे तेल के भण्डारों में निजी/संयुक्त उद्यमों का हिस्सा वर्ष 2018 तक गिर रहा था, परंतु वर्ष 2019 में इसमें वृद्धि देखने को मिली। कच्चे तेल के तटवर्ती भण्डारों के मामले में निजी क्षेत्र की सहभागिता धीरे-धीरे बढ़ रही है निजी/सयुंक्त उद्यम का हिस्सा वर्ष 2019 में बढ़कर 19.5 प्रतिशत हो गया है (चित्र 26(ख))।

चित्र 26: कच्चे तेल के भंडारों में पीएसयू एवं निजी/संयुक्त उद्यमों (जेवी) का हिस्सा

(क) तटवर्ती भंडार

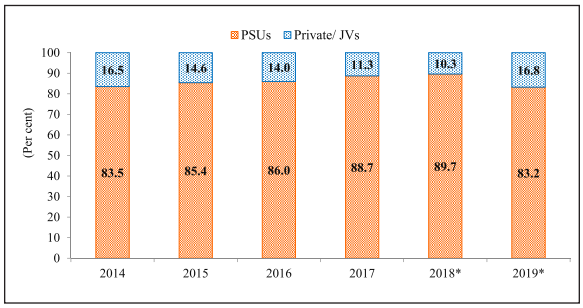

(ख) अपतटीय भंडार

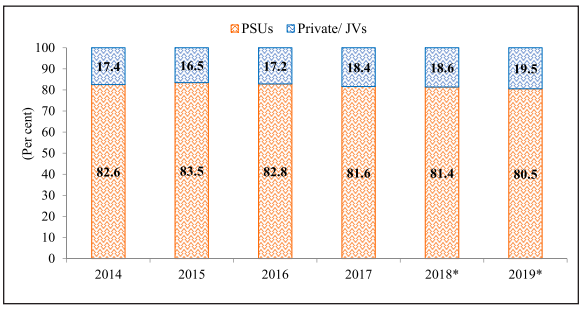

स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

टिप्पणी: *-अनंतिम

$: वर्ष के 01 अप्रैल को यथास्थिति भंडार।

8.41 249.4 एमएमटीपीए की शोधन क्षमता के साथ भारत अमेरिका, चीन एवं रूस के बाद विश्व में चौथा सबसे बडा उत्पादक देश है। वर्ष 2017-18 में 234. 0 एमएमटी की शोधन क्षमता बढ़कर वर्ष 2018-19 में 247.6 एमएमटी हो गई, जबकि कच्चे तेल की प्रसंस्करण क्षमता वर्ष 2017-18 के 251.9 एमएमटी से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 257.2 एमएमटी हो गई। हालांकि रिफाइनरी क्षमता उपयोग वर्ष 2017-18 के 107.7 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2018-19 में 103.9 प्रतिशत हो गई। (चित्र 27) पेट्रोलियम ईंधन एवं पेट्रो रसायानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शोधन क्षमता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

चित्र 27: शोधन क्षमता एवं प्रसंस्कृत कच्चा तेल (मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में) और शोधन क्षमता उपयोग (प्रतिशत)

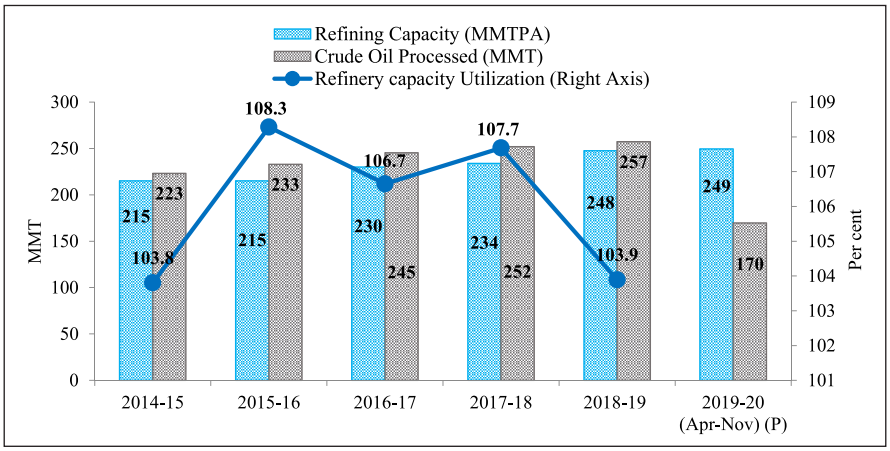

स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

टिप्पणी: पी-अनंतिम

8.42 वर्ष 2019-20 में प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन 31.8 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) रहने की अनुमान है (आर्थिक समीक्षा अनुमान)। चित्र 28 (क) यह दर्शाता है कि वर्ष 2016-17 तक प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति वर्ष 2017-18 में रोका गया है वर्ष 2018-19 में इसमें उछाल आया है। प्राकृतिक गैस के अपतटीय उत्पादन के संबंध में भी यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है जबकि तटवर्ती उत्पादन में वर्ष 2014-15 के बाद निरंतर वृद्धि हुई है, चित्र 28(ख) यह दर्शाता है कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर पीएसयू, का प्रभुत्व है। जिसका हिस्सा समय के साथ-साथ बढ़ा है।

चित्र 28: तटवर्ती एवं अपतटीय वार तथा पीएसयू एवं निजी/संयुक्त उद्यम-वार प्राकृतिक गैस कुल घरेलू उत्पादन।

(क) प्राकृतिक गैस का उत्पादन

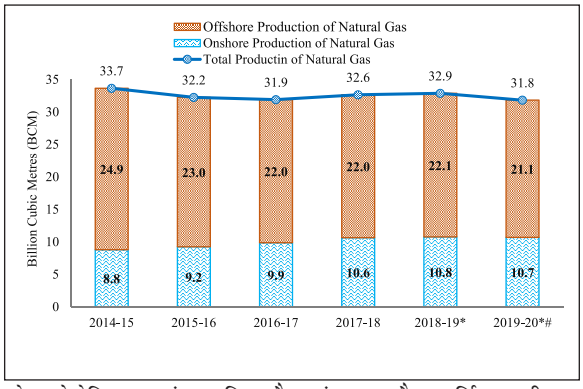

(ख) पीएसयू की प्रधानता वाली प्राकृतिक गैस का उत्पादन में

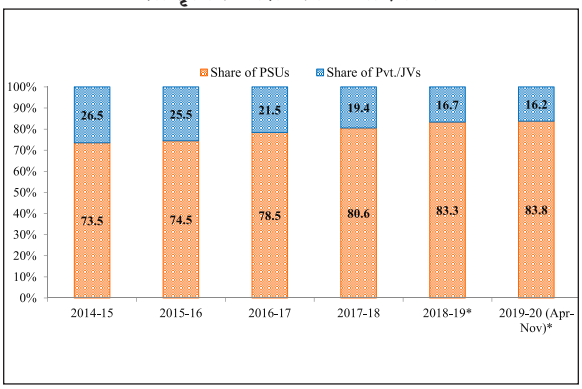

स्रोत: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आर्थिक समीक्षा परिकलन।

टिप्पणी: *अनंतिम

वर्ष 2019-20 (अप्रैल-नवंबर) के लिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 2019-20 के लिए अनुमानित प्राकृतिक गैस उत्पादन

8.43 इसके अतिरिक्त चित्र 29 में स्पष्ट दर्शाया गया है कि निजी/संयुक्त उद्यमों की उपस्थिति से तटवर्ती प्राकृतिक गैस उत्पादन में समय के साथ वृद्धि हुई है (चित्र 29 (क)), जबकि इसकी विपरीत स्थिति अपटतीय प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए सच है, जिसमें पीएययू का हिस्सा धीरे-धीरे बढ़ रहा है (चित्र 29(ख))।

चित्र 29: तटवर्ती एवं अपतटीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में पीएसयू एवं निजी/संयुक्त उद्यमों (जेवी) का हिस्सा

(क) तटवर्ती प्राकृतिक गैस उत्पादन में पीएसयू का गिरता हिस्सा

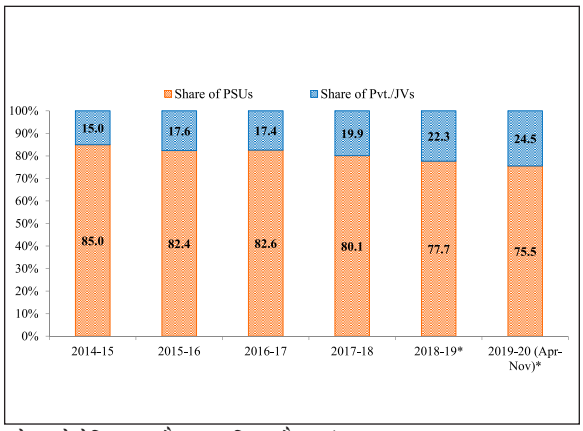

(ख) अपतटीय प्राकृतिक गैस उत्पादक में पीएसयू का बढ़ता हिस्सा

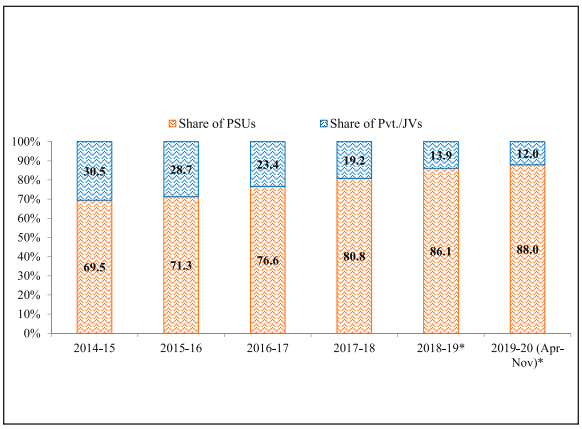

स्रोत: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रलय

टिप्पणी:* अनंतिम

8.44 तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निजी संस्थानों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक सुधारात्मक उपाय किए हैं, इसमें साथ-साथ राजकोषीय एवं संविदा संबंधी शर्तों को सरलीकृत करना , सरकार को बिना कोई उत्पादन या राजस्व दिए श्रेणी-II एवं III के अवसादी बेसिनों के अधीन आने वाले अन्वेषण ब्लॉकों की बोली प्रक्रिया को सरल बनाना, राजकोषीय प्रोत्साहन को बढ़ाकर अन्वेषणों का पूर्व विमुद्रीकरण, विपणन एवं कीमत निर्धारण की आजादी समेत गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना, नवीनतम प्रौद्योगिकी लागू करना एवं पूंजी का निवेश करना, सहयोग के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों को अधिक कार्यात्मक स्वतंत्रता देना तथा नामांकन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की विधियों के लिए निज़ी क्षेत्र की भागीदारी आदि प्रदान करना शामिल है।

विद्युत

8.45 विद्युत क्षेत्र में निवेश लाने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के कारण बीते वर्षों में भारत के विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। परिणामस्वरूप, विश्व आर्थिक फोरम (डब्ल्यूईएम) द्वारा प्रकाशित ऊर्जा परिवर्तन सूची में अपना स्तर सुधार कर 76वीं पायदान पर आ गया है। डब्ल्यूई एफ की ग्रिड प्रभावी ऊर्जा परिवर्तन 2019 की रिपोर्ट कहती है ''भारत, इण्डोनेशिया एवं बंग्लादेश ने मजबूत राजनीतिक संकल्प, स्थायी नीति प्रबंधन, ग्रिड विस्तार के प्रयोग एवं विकेन्द्रीकृत उत्पादन संसाधान एवं आधारिक संरचना में निवेश के लिए सहायक माहौल बना कर व्यापक विद्युतीकरण की दिशा में त्वरित प्रगति की है।"

8.46 व्यापक विद्युतीकरण के साथ-साथ, विद्युत के उत्पादन एवं ट्रासमिशन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मार्च, 2019 की 3,56,100 मेगावाट की स्थापित क्षमता बढ़कर 31.10.2019 को 3,64,960 मेगावाट हो गई है। ईंधन-वार एवं क्षेत्र-वार वितरण यह दर्शाता है कि तापीय विद्युत का हिस्सा कुल स्थापित क्षमता का 63% है (चित्र 30 (क)) है तथा मौटे तौर पर उत्पादन क्षमता का आधा उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है (चित्र 30 (ख)। कुल ऊर्जा उत्पादन (ऊर्जा के आयातित एवं नवीकरणीय स्रोतों सहित) 659 बी यू था (30.09.2019 के अनुसार)। इसके अतिरिक्त, अधिकतम विद्युत आपूर्ति में अधिकतम कमी अर्थात् प्रतिशत कमी की तुलना में वर्ष 2012-13 की 9% की व्यस्ततम समय की मांग में वर्ष 2019-20 के दौरान 0.07% की कमी आई है (अक्तूबर, 2019)।

चित्र 30: अक्टूबर, 2019 को कुल विद्युत उत्पादन क्षमता
(ईंधन-वार एवं क्षेत्र-वार)

(क) ईंधन-वार

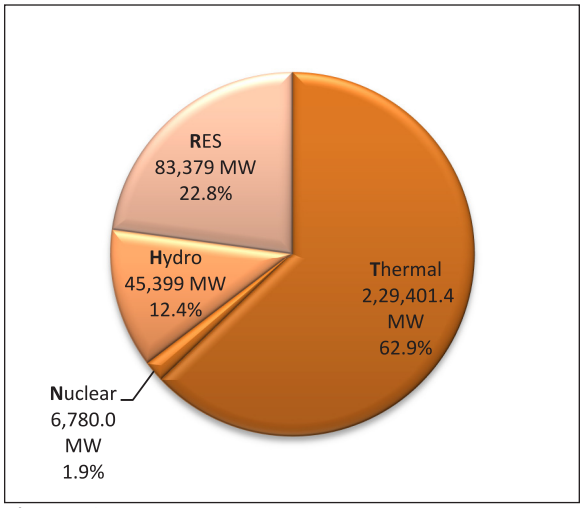

(ख) क्षेत्र-वार

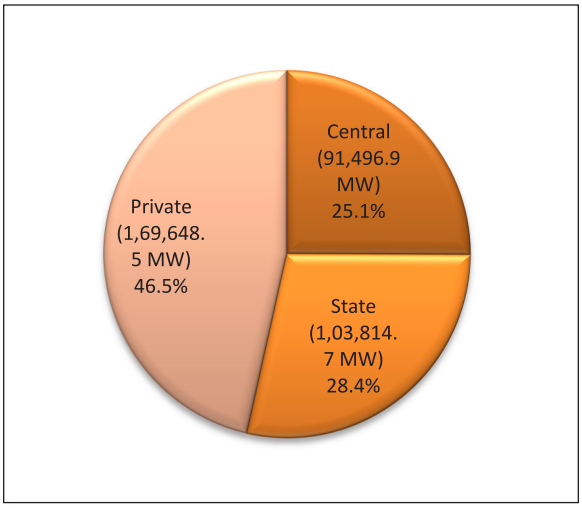

स्रोत: ऊर्जा मंत्रालय
टिप्पणी: आरईएस-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

8.47 समावेशीत संवृद्धि तथा जीवन स्तर में सुधार करने के लिए विद्युत की उपलब्धता आवश्यक है। 31.03.2019 तक अंतिम छोर को विद्युतीकरण से जोड़ने के लिए व्यापक घरेलू विद्युतीकरण की प्राप्ति के लिए 16,320 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 25 सितंबर, 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) प्रारंभ की गई। सभी राज्यों ने 31.03.2019 को सौभाग्य पोर्टल पर सभी घरों छत्तीसगढ़ (मानचित्र 2) के एलडब्ल्यूई प्रभावित बस्तर क्षेत्र के कुछ घरों को छोड़कर, के विद्युतीकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

8.48 ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता की बिजली की आपूर्ति होना समावेशी संवृद्धि का बेहतर सूचक है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, 18 राज्यों ने 20 घंटे से अधिक की विद्युत आपूर्ति की सूचना दी है जबकि शेष राज्यों ने लगभग 15 घंटे या अधिक समय की विद्युत आपूर्ति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतीत के वर्षों (जब नियमित बिजली कटौती होती थी), की तुलना में यह प्रमुख उपलब्धि है।

मानचित्र 2: विद्युतीकरण की स्थिति

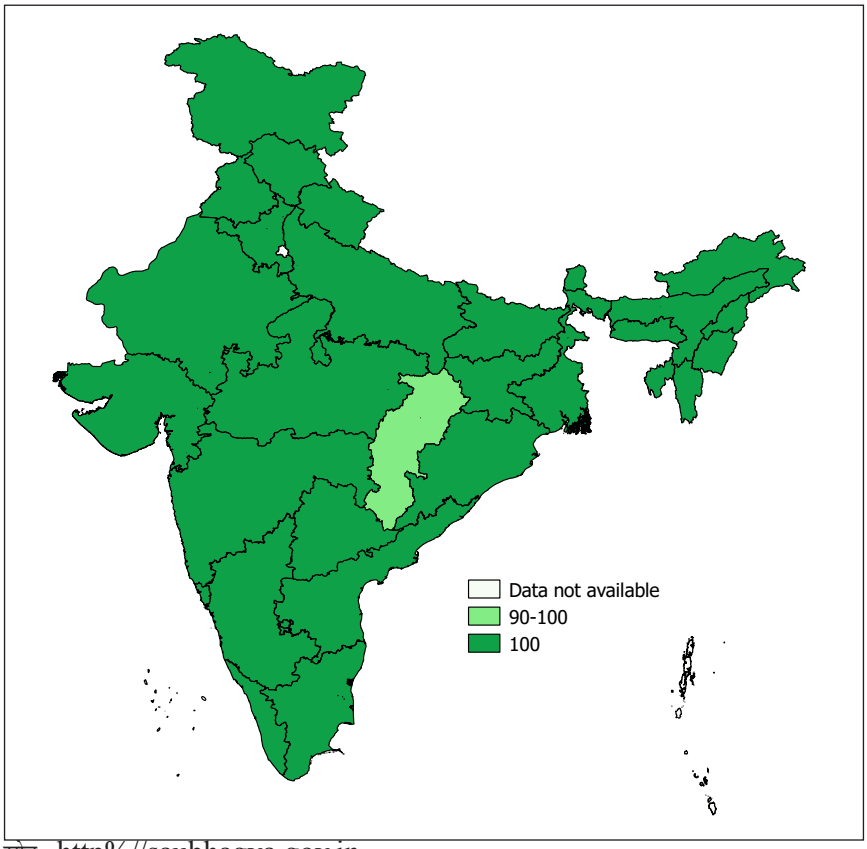

स्रोत: http%//saubhagya.gov.in

खनन क्षेत्र

8.49 उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत कुल 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिनमें 04 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज (कोयला लिग्नाइट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस), 5 परमाणु खनिज (इल्मनाइट, रूटाइल, जिरकान, यूरेनियम एवं मोनाजाइट), 10 धात्विक, 21 गैर-धात्विक एवं 55 छोटे खनिज शामिल है। यह अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। सीएसओ द्वारा प्रकाशित वार्षिक राष्ट्रीय आय 2018-19 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018-19 में जीवीए में खनन क्षेत्र का योगदान (वर्तमान मूल्य पर) लगभग 2.38% रहा। समग्र प्रवृत्ति के आधार पर, वर्ष 2018-19 का खनिज उत्पादन (आधार 2011-12=100) पिछले वर्ष के 104.9 की तुलना में 107.9 रहा।

8.50 नीतिगत सुधारों के फलस्वरूप खनिज उत्पादन में उल्लेखनीय हुई है। मूल्य के संबंध में, पिछले वर्ष की अवधि तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमुख खनिजों के उत्पादन में 25% वृद्धि दर्ज की गई है। (तालिका 13)

तालिका 13: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए एमसीडीआर अधिनियम के अन्तर्गत के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रमुख खनिजों का उत्पादन (मूल्य 000 रु. में)

खनिज	इकाई	2016-17		2017-18 (P)		2018-19 (P)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बाक्साइट	T	24745487	14865504	22312681	15020673	23687679	17168251
क्रोमाइट	T	3727780	31937475	3480928	32109182	3970688	35836112
तांबा सघंनक	T	134787	6506133	141863	7742763	155435	9395244
सोना	Kg	1595	4362410	1648	4763056	1664	5241705
लौहा अयस्क	'000t	194584	252291800	200955	342628915	206446	451854804
शीशा संघनक	T	268047	9669267	306399	11429378	358371	16316814
जिंक संघनक	T	1484244	43385599	1539655	49799283	1457171	56083774
मैगनीज अयस्क	T	2395134	16248429	2589271	19717530	2820227	22702512
चांदी	Kg	460811	18320758	557691	21179042	679376	25824746
टीन सघंनक	Kg	12121	8736	16758	10139	21211	13839
फार-फोरट	T	1124440	2996711	1534269	3771584	1284580	3547584
हीरा	कैरेट	36491	639562	39699	410737	38437	581058
गारनेट (खुरदरा)	T	85413	787302	158154	1636667	123404	1568237
ग्रेफाइट (आर.ओ.एम.)	T	122438	94158	33558	25656	39370	37712
कायानाइट	T	3253	13458	7818	23002	4889	15228
सिलीभीनाइट	T	68131	535949	81638	669340	69033	559792
चूना पत्थर	'000t	314669	73878426	338552	74407420	379049	84841855
चूना शैल	T	12344	34774	10893	39593	7534	27786
मैगनेसाइट	T	299149	749297	195033	503919	146581	396564
चीनी मिट्टी (भारत)	T	2203700	317886	1822514	285095	1890309	325122
मोल्डिग रेत	T	27685	6623	7097	1793	14423	3889
चिकनी मिट्टी (सिलीसियम)	T	77270	55340	58875	57457	77739	51897
सिलेनाइट	T	4328	8656	469	939	2906	5812
सल्फर	T	560825	-	825173	-	890400	-
वर्मिकुलाइट	T	9042	8162	6055	7078	3161	3807
वोलासटोनाइट	T	166186	158823	153049	126700	184063	173972

स्रोत: एमसीडीआर विवरियां, आईबीएम

टिप्पणी: (P) अनंतिम t: टन, Kg: किलोग्राम, '000t=हजार टन, crt-कैरेट

आवास एवं शहरी आधारिक संरचना

8.51 भारत विश्व में सबसे त्वरित गति से शहरीकरण की ओर बढ़ने वाले देशों में से एक है। लगभग 37.7 करोड़ लोग भारत के शहरी निवासों में रह रहे थे (जनगणना 2011), जो कि वर्ष 2030 तक अनुमानित कुल 60.6 करोड़ जनसंख्या का लगभग 31% है। (2015: यूएन)।

8.52 सभी पात्र शहरी गरीबों को मूल भूत सुविधाओं वाले पक्के घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) जून, 2015 में आरंभ की गई थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने शहरों/कस्बों की आवासीय मांग का प्राक्कलन लगाने के लिए सर्वेक्षण करने का अधिदेश दिया गया था, अब तक 1.12 करोड़ घरों की-मांग दर्ज की गई है। शहरी आवास एवं शहर आर्थिक प्रगति के केन्द्र बिन्दु है जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की वर्तमान जीडीपी का 60% से अधिक शेयर शहरों एवं कस्बों से आता है। विनिर्माण क्षेत्र से जीडीपी का 8.2% आता है जिसमें आवास शामिल हैं तथा कार्यबल के लगभग 12% को इसमें रोजगार मिलता है।[1] अत: पीएमएवाई (यू) के अतंर्गत किए गए निवेश से न केवल ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों को पक्का घर मिलता है बल्कि इससे समग्र अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। आज, पीएमएवाई-यू संसार की सबसे बड़ी आवासीय स्कीमों में से एक है इसमें संपूर्ण शहरी भारत शामिल करना है। पीएमएवाई(यू) को चार घटकों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। (चित्र-31)

8.53 पीएमएवाई (यू) योजना वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में त्वरित गति से बढ़ रही है। इनमें से 1.03 करोड़ घरों का अनुमोदन कर दिया गया है, 60 लाख मकानों का विनिर्माण प्रारंभ हो चुका है, जिनमें से 32 लाख घर बन चुके हैं तथा सौंप दिए गए है। (चित्र 32)

8.54 पूर्व स्कीमों सहित प्रधान मंत्री आवास योजना (यू) की महत्वपूर्ण प्रगति समावेशन, योजना संबंधी वास्तुकला, डिजीटल/अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, निधियन तंत्र आदि की व्यापक कार्यनीति का परिणाम

चित्र 31: पी एम ए वाई (यू) के विभिन्न घटक

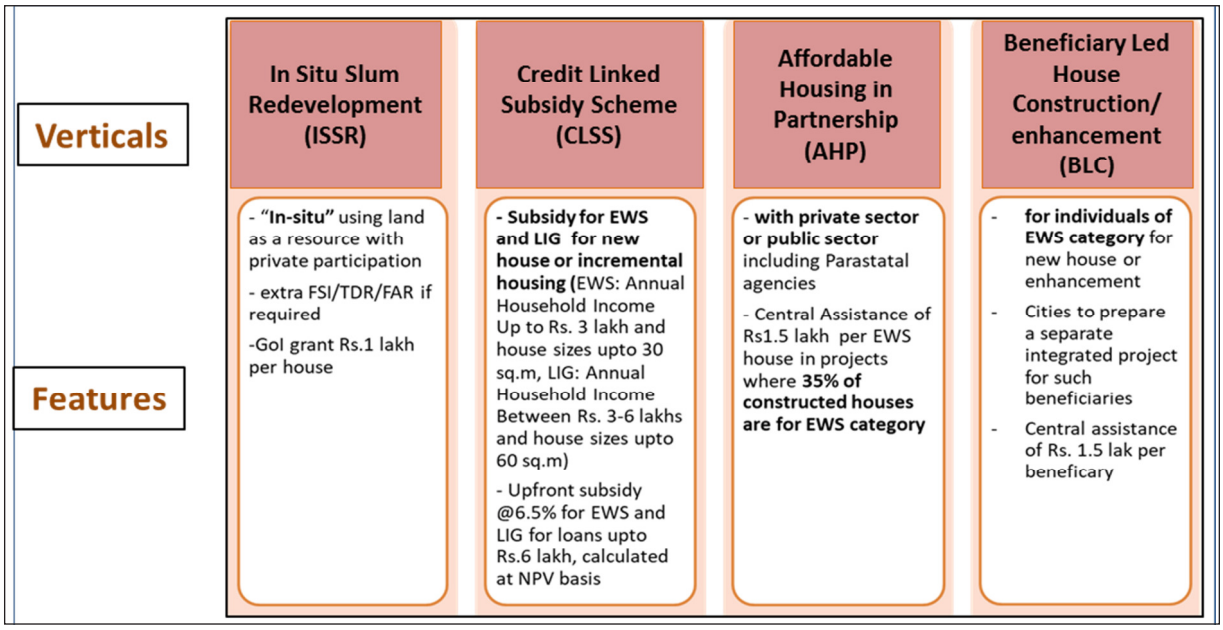

स्रोत: आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय

1. स्रोत: राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा ''आवासन क्षेत्र में जीडीपी और भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन पर निवेश का प्रभाव'' (2014) संबंधी अध्ययन रिपोर्ट

चित्र 32: प्रधानमंत्री आवास योजना (यू) की वास्तविक प्रगति
(आवास की संख्या लाखों में)(01.10.2020 तक)

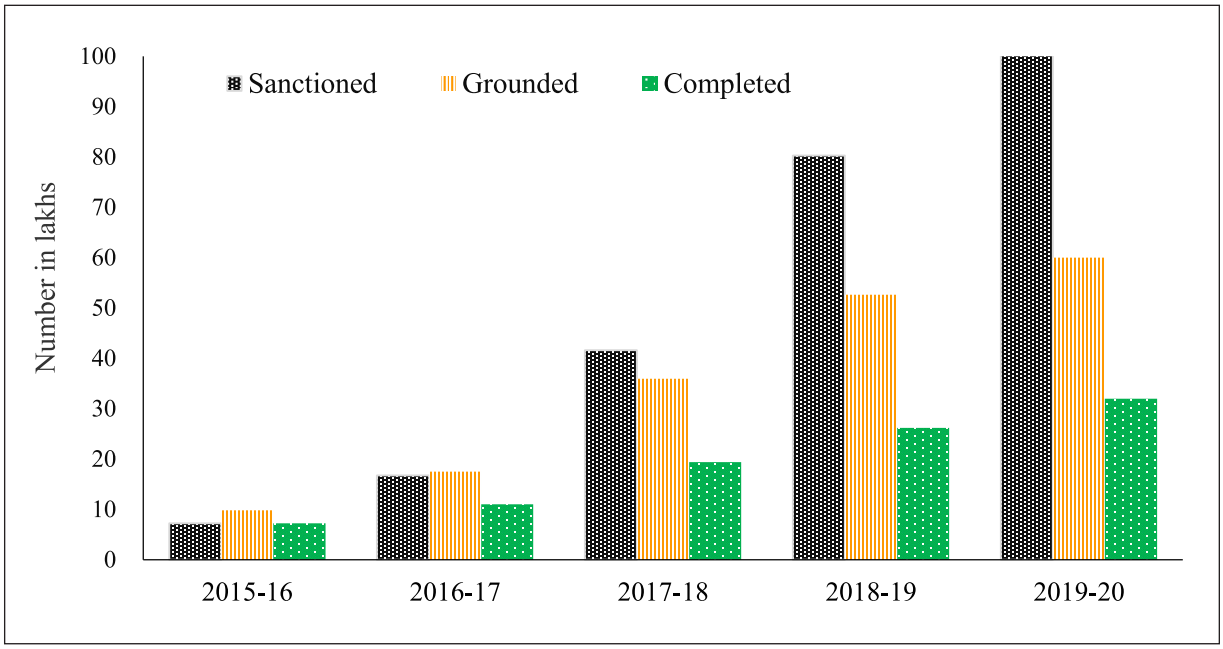

स्रोत: आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय

है। सिद्धांत के तौर पर, स्कीम सहकारी आयोजन की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, मांग आधारित दृष्टिकोण को अंगीकृत करती है। पूर्व परियोजनाओं के विपरीत, संगत आवासों की मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शहर वार मांग सर्वेक्षण पर आधारित परियोजनाएं तैयार करने और उनका अनुमोदन करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राधिकृत किया गया है। परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन के लिए एक राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एस एल एसी) और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संस्वीकृति और मॉनिटरन समिति (एस एल एस एम सी) का गठन किया गया है। चूंकि भूमि और निवासी राज्य का विषय है, इसलिए पात्रता मानदंड के आधार पर लाभार्थियों की शिनाख्त के कार्यकलाप भी राज्यों को ही सौंपे गए हैं। ऐसे लचीलेपन के कारण ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और आम नागरिकों की बड़ी भागीदारी हुई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए घर के मालिकाने को महिला के नाम या दोनों की भागीदारी में मालिकाना हक इस योजना में अनिवार्य किया गया है।

8.55 परियोजनाओं को प्रारंभ करने और पूरा करने के लिए मिशन के अंतर्गत संस्वीकृत बड़ी संख्या में मकानों के लिए नियमित निधियन की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ-साथ वार्षिक बजटीय उपबंधों पर, प्रधान मंत्री आवासीय योजना (यू) के निधियन के लिए 60,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसधानों (ई बी आर) के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शहरी आवास निधियों (एन यू एच एफ) के सृजन के माध्यम से पृथक तंत्र का गठन किया गया। है। ऐसी व्यवस्था राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सी एन ए) की परियोजनाओं की निर्बाध प्रगति के लिए समयबद्ध तरीके से केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालयों को सक्षम बनाती है। भारत सरकार ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाले धन की कमी को अग्रता क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 10,000/-करोड़ रू. की प्रारंभिक निधि राष्ट्रीय आवलीय बैंक में किफायती आवासीय निधि (ए एच एफ) का भी सृजन किया है। निधि का उपयोग एच एफ सी और एन बी एफ सी के सूक्ष्म वित्तपोषण के लिए किया जाता है। जो घटी ब्याज दर पर गृह-स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रदान करते हैं।

8.56 स्मार्ट सिटी मिशन की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति: स्मार्ट सिटी मिशन के अधीन आने वाले सभी 100 शहरों में विशेष प्रयोजनी (एस पी वी), शहरी स्तरीय परामर्श मंच (सी एल ए एस) को समन्वित किया गया है तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं (पी एम सी) की नियुक्ति की है। मिशन की शुरूआत से 100 शहरों में 2 लाख करोड ₹ से अधिक मूल्य वाली 5,151 परियोजनाओं में विभिन्न चरणों में कार्य चल रहा है। 14 नवबर, 2019 की स्थिति के अनुसार 1.49 लाख करोड ₹ मूल्य (कुल प्रस्ताव का 72% की 4,154 एस सी एम परियोजनाओं की निविदा हो चुकी है, इनमें से 1.05 लाख करोड़ ₹ की 3,359 परियोजनाओं (कुल प्रस्ताव का 51%) के कार्या देश जारी हो चुके हैं। 22,569 करोड़ रू मूल्य की 1,290 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है तथा प्रचालन में है। स्मार्ट सिटीज की प्रमुख उपलब्धियां चित्र 33 में दी गई है।

चित्र 33: स्मार्ट सिटीज मिशन/ मुख्य उपलब्धियां (14.11.2019 तक)

स्रोत: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

भावी परिदृश्य

8.57 तेजी से प्रगति करते विश्व में विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारत को अपने उद्योग एवं आधारिक संरचना को विकसित करना होगा। उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में, उद्योग 4.0 एवं अगली पीढ़ी की आधारिक संरचना का कार्यक्षेत्र व्यापक है। उद्योग 4.0 एवं अगले पीढ़ी की आधारिक संरचना के सम्यक निश्चत करने के लिए उन अवरोधों को दूर करना आवश्यक है जो प्रशस्त मार्ग में रोड़ा बन रहे हैं। उद्योग 4.0 में औद्योगिक क्षेत्रों का आटोमेशन शमिल है। जबकि अगली पीढ़ी की आधारिक संरचना से भौतिक आधारिक संरचना की क्षमता को अधिकतम करने के लिए इटंरनेट, ऑटोमेशन जेसी प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना होगा। निर्बाध एवं त्वरित यात्रा के लिए, भारत को गुणवत्ता संपन्न अवसंरचना में समय पर पर्याप्त निवेश करने की आवश्यकता है।

8.58 वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जी डी पी प्राप्त करने के लिए भारत को इन वर्षों में आध ारिक संरचना पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डालर खर्च करने होंगे। वार्षिक आधारिक सरंचना में निवेश में उन्नयन करना एक चुनौती है ताकि आधारिक संरचना की कमी भारतीय अर्थव्यवस्थ की प्रगति में अवरोधक न बन सके। राष्ट्रीय आधारिक संरचना पाइपलाइन (एन आई पी) ने वर्ष (वित्त वर्ष) एफ वाई 20-25 के लिए देश की आधारिक संरचना की अवधारण तैयार की है। 31.12.2019 को एन आई पी कार्यबल पर जारी की गई रिपोर्ट भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 तक की अवधि के दौरान 102 लाख करोड़ रू की कुल अवसंरचनात्मक निवेश को प्रक्षेपित करती है।

अध्याय एक नजर में

- औद्योगिक उत्पादन (आई आई पी) के सूचक के अनुसार औद्योगिक सेक्टर ने 2018-19 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान दर्ज की गई 5.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2019-20 (अप्रैल-नवम्बर) में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
- उर्वरक क्षेत्र ने 2018-19 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान हासिल की गई (-) 1.3 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरा 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है।
- व्यापार की सुविधा के क्षेत्र में भारत ने 2018 में हासिल की गई 77वीं रैंक में अपेक्षाकृत सुधार करते हुए 2019 में 63वीं रैंक हासिल की।
- 2019-20 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान अपरिस्कृत इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की गई।
- 31 अक्तूबर, 2019 को विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता बढ़कर 3,64,960 मैगा वाट् वृद्धि दर्ज की गई।
- 31.12.2019 को जारी की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाईन के संबंध में कार्यबल की रिपोर्ट में भारत में वित्त वर्ष 2020 से 2025 के दौरा 102 लाख करोड़ रूपये के कुल अवसंरचनात्मक निवेश को प्रक्षेपित किया है।